राजस्थान सरकार

# रानी खुर्द
# मास्टर प्लान
# 2010 – 2031

**राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया**

समन्वयक
आवास विकास लिमिटेड
जयपुर (राजस्थान)

सलाहकार
आइ.टी.पी.आई.
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर

# आभार

रानी खुर्द के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में रानी खुर्द के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगर के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर पाली एवं नगर पालिका रानी खुर्द का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। आई. टी. पी. आई. द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षण तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सालय, जल–प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यावाद के पात्र हैं।

**(चन्द्र शेखर पाराशर)**
वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर जोन, जोधपुर

# योजना दल

## कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री चन्द्र शेखर पाराशर | : | वरिष्ठ नगर नियोजक |
| 2. | श्री जे. बी. जाखड़ | : | वरिष्ठ नगर नियोजक |
| 3. | श्री आर. एल. टुकलिया | : | वरिष्ठ नगर नियोजक |
| 4. | श्री पी. आर. बेनीवाल | : | उप नगर नियोजक |
| 5. | श्री रोशन सिंह चौहान | : | उप नगर नियोजक |
| 6. | श्री टी. आर. बामणिया | : | सहायक अभियन्ता |
| 7. | श्री रामचन्द्र भाटी | : | अनुसन्धान सहायक |
| 8. | श्री एम. एल. अवस्थी | : | अन्वेषक ग्रेड द्वितीय |
| 9. | श्री अरूण कुमार माथुर | : | निजी सहायक |
| 10 | श्री दिनेश प्रकाश आसोपा | : | नगर नियोजक सहायक |
| 11. | श्री भगवान लाल राठौड़ | : | वरिष्ठ प्रारूपकार |
| 12. | श्री नित्यानंद भट्ट | : | वरिष्ठ लिपिक |
| 13. | श्री प्रमोद गोपाल पुरोहित | : | भण्डार प्रभारी |
| 14. | श्री सुगनचन्द जांदू | : | कनिष्ठ प्रारूपकार |
| 15. | श्री प्रदीप शर्मा | : | अनुरेखक |
| 16. | श्री नरसिंह राम चौधरी | : | अनुरेखक |

**एवम्**

**कन्सलटेंट**

इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, जयपुर।

# विषय–सूची


| क्रम संख्या | | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| | | आभार | I |
| | | योजना–दल | II |
| | | विषय सूची | III |
| | | तालिका सूची | VIII |
| **1.0** | | **परिचय** | 1 |
| **2.0** | | **विद्यमान विशेषताएँ** | 3 |
| 2.1 | | भौतिक स्वरूप और जलवायु | 3 |
| 2.2 | | क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य | 3 |
| 2.3 | | ऐतिहासिक | 4 |
| 2.4 | | जनसांख्यिकीय रूपरेखा | 5 |
| 2.5 | | व्यावसायिक संरचना | 5 |
| 2.6 | | विद्यमान भू–उपयोग | 6 |
| 2.6 | (1) | आवासीय | 8 |
| 2.6 | (1) (अ) | आवासन | 8 |
| 2.6 | (1) (ब) | कच्ची बस्तियाँ | 8 |
| 2.6 | (2) | वाणिज्यिक | 8 |
| 2.6 | (3) | औद्योगिक | 9 |
| 2.6 | (4) | राजकीय | 10 |
| 2.6 | (4) (अ) | सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालय | 10 |
| 2.6 | (5) | आमोद–प्रमोद | 10 |
| 2.6 | (5) (अ) | उद्यान एवं खुले स्थल | 10 |
| 2.6 | (5) (ब) | स्टेडियम एवं खेल मैदान | 11 |
| 2.6 | (5) (स) | मेले एवं पर्यटन सुविधायें | 11 |
| 2.6 | (5) (द) | अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन | 11 |
| 2.6 | (6) | सार्वजनिक एवम् अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ | 11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | (6)(अ) | शैक्षणिक | 11 |
| 2.6 | (6)(ब) | चिकित्सा | 12 |
| 2.6 | (6)(स) | अन्य सामुदायिक सुविधाएँ | 12 |
| 2.6 | (6)(द) | सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल | 12 |
| 2.6 | (6)(य) | **जनोपयोगी सुविधाएँ** | 13 |
| 2.6 | (6)(य)(1) | जलापूर्ति | 13 |
| 2.6 | (6)(य)(2) | मल–जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन | 14 |
| 2.6 | (6)(य)(3) | विद्युत आपूर्ति | 14 |
| 2.6 | (6)(य)(4) | श्मशान एवं कब्रिस्तान | 14 |
| 2.6 | (7) | परिसंचरण | 15 |
| 2.6 | (7)(अ) | यातायात व्यवस्था | 15 |
| 2.6 | (7)(ब) | बस तथा ट्रक टर्मिनल | 15 |
| 2.6 | (7)(स) | रेल सेवा / हवाई सेवा | 15 |
| **3.0** | | **नियोजन की संकल्पना** | **16** |
| 3.1 | | नियोजन की नीतियाँ | 17 |
| 3.2 | | नियोजन के सिद्धान्त | 17 |
| **4.0** | | **भावी आकार** | **20** |
| 4.1 | | जनांकिकी | 20 |
| 4.2 | | व्यावसायिक संरचना | 21 |
| 4.3 | | नगरीय क्षेत्र | 22 |
| 4.4 | | नगरीयकरण योग्य क्षेत्र | 22 |
| 4.5 | | योजना क्षेत्र | 22 |
| | (अ) | पूर्वी योजना क्षेत्र | 23 |
| | (ब) | पश्चिमी योजना क्षेत्र | 24 |
| | (स) | परिधि नियन्त्रण पट्टी | 24 |
| **5.0** | | **भू–उपयोग योजना** | **25** |
| 5.1 | | आवासीय | 26 |
| 5.1 | (1) | आवासन | 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | (2) | नगरीय नवीनीकरण | 27 |
| 5.1 | (3) | कच्ची बस्तियाँ / अनौपचारिक (इन्फॉर्मल) सेक्टर के लिए आवास | 27 |
| 5.2 | | वाणिज्यिक | 28 |
| 5.2 | (1) | खुदरा, फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकानें | 28 |
| 5.2 | (2) | वाणिज्यिक केन्द्र | 28 |
| 5.2 | (3) | विशिष्टिकृत एवं थोक व्यापार | 29 |
| 5.2 | (4) | भण्डारण एवं गोदाम | 29 |
| 5.3 | | औद्योगिक | 29 |
| 5.4 | | राजकीय | 30 |
| 5.4 | (1) | सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालय | 30 |
| 5.5 | | आमोद–प्रमोद | 30 |
| 5.5 | (1) | उद्यान एवं खुले स्थल | 30 |
| 5.5 | (2) | स्टेडियम एवं खेल मैदान | 31 |
| 5.5 | (3) | अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन | 31 |
| 5.5 | (4) | मेला स्थल एवं पर्यटन सुविधाएँ | 31 |
| 5.6 | | सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक | 31 |
| 5.6 | (1) | शैक्षणिक | 32 |
| 5.6 | (2) | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 32 |
| 5.6 | (3) | सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल | 32 |
| 5.6 | (4) | अन्य सामुदायिक सुविधाएँ | 32 |
| 5.6 | (5) | जनोपयोगी सुविधाएँ | 33 |
| 5.6 | (5) अ | जलापूर्ति | 33 |
| 5.6 | (5) ब | मल–जल निस्तारण प्रबन्धन | 33 |
| 5.6 | (5) स | ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन | 34 |
| 5.6 | (5) द | विद्युत आपूर्ति | 34 |
| 5.6 | (6) | श्मशान एवं कब्रिस्तान | 34 |
| 5.7 | | परिसंचरण | 34 |
| 5.7 | (1) | प्रस्तावित यातायात संरचना | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.7. | (1) अ | सड़कों का मार्गाधिकार | 36 |
| 5.7 | (1) ब | सड़कों को चौड़ा करना एवम् उनका सुधार | 37 |
| 5.7 | (1) स | चौराहों/जंक्शनों का विकास | 37 |
| 5.7 | (1) द | पार्किंग स्थलों का विकास | 37 |
| 5.7 | (2) | बस अड्डा | 38 |
| 5.7 | (3) | ट्रक टर्मिनल | 38 |
| 5.7 | (4) | रेल मार्ग एवं हवाई सेवा | 38 |
| 5.8 | | पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संवर्धन/संग्रहण | 38 |
| 5.9 | | आपदा प्रबन्धन | 39 |
| 5.10 | | परिधि नियंत्रण पट्टी | 40 |
| 510 | (1) | ग्रामीण आबादी क्षेत्र | 40 |
| **6.0** | | योजना का कार्यान्वयन | **42** |
| 6.1 | | वर्तमान आधार | 42 |
| 6.2 | | प्रस्तावित आधार | 42 |
| 6.3 | | जन–सहभागिता एवं जन–सहयोग | 43 |
| 6.4 | | भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति | 43 |
| 6.5 | | उपसंहार | 44 |

**परिशिष्ट**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण | 45 |
| 2. | राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण | 47 |
| 3. | राजकीय अधिसूचना क्रमांक–प.10(104) नविवि/3/ 2010 दिनांक 16 जुलाई 2010 | 50 |
| 4. | राजकीय संशोधित अधिसूचना क्रमांक–प. 10(104)नविवि/3/2010 दिनांक 14 फरवरी 2011 | 51 |
| 5. | राजकीय संशोधित अधिसूचना क्रमांक–प.10(104) नविवि/ 3/ 2010 दिनांक 19सितम्बर 2011 | 52 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | राजकीय अधिसूचना क्रमांक– जेडीजेड/1120/एम.पी./रानी खुर्द दिनांक 27 अप्रेल 2011 | 53 |
| 7. | राजकीय अधिसूचना क्रमांक–प.10(104) नविवि/ 3/ 2010 दिनांक 27 फरवरी 2012 | 54 |

# तालिका–सूची


| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति– रानी खुर्द 1971–2001 | 5 |
| 2. | व्यावसायिक संरचना– रानी खुर्द–1991– 2001 | 6 |
| 3. | विद्यमान भू–उपयोग– रानी खुर्द– 2010 | 7 |
| 4. | औद्योगिक संरचना, रानी खुर्द–2010 | 9 |
| 5. | सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों का विवरण, रानी खुर्द–2010 | 10 |
| 6. | शैक्षणिक संरचना, रानी खुर्द–2010 | 11 |
| 7. | चिकित्सा सेवाएं, रानी खुर्द –2010 | 12 |
| 8. | जलापूर्ति, रानी खुर्द–2010 | 13 |
| 9. | विद्युत आपूर्ति, रानी खुर्द–2010 | 14 |
| 10. | जनसंख्या वृद्धि एवम् अनुमान, रानी खुर्द –1971–2031 | 20 |
| 11. | अनुमानित व्यावसायिक संरचना, रानी खुर्द –2031 | 21 |
| 12. | योजना क्षेत्र, रानी खुर्द–2031 | 23 |
| 13. | प्रस्तावित भू–उपयोग, रानी खुर्द–2031 | 25 |
| 14. | प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, रानी खुर्द–2031 | 28 |
| 15. | विभिन्न मार्गो की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, रानी खुर्द–2031 | 36 |
| 16. | सड़को का प्रस्तावित मार्गाधिकार, रानी खुर्द–2031 | 37 |

# 1
# परिचय

# 1.0 परिचय

रानी खुर्द, पाली जिले का पंचायत समिति मुख्यालय है। यह जिला मुख्यालय पाली से 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को ''डी'' श्रेणी की नगरपालिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त नगर में केन्द्र, राज्य एवम् अर्द्ध–राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थापित हैं।

यह नगर पाली, सिरोही, जालोर एवं जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा भली–भाँति जुड़ा हुआ है। यह अजमेर–अहमदाबाद रेलवे लाईन पर पश्चिमी रेलवे का रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली से मुम्बई रेलवे कोरिडोर क्षेत्र में स्थित है। यह नगर एक महत्वपूर्ण सेवा केन्द्र एवं औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। इससे यहाँ और नई योजनाएँ आने की सम्भावनाएँ व्यक्त की जा रही है जिसका यहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह नगर आस–पास की जनसंख्या के लिए क्रय–विक्रय का प्रमुख केन्द्र है।

रानी खुर्द की जनसंख्या वर्ष 1971 में 5653 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 12392 हो गई। सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 1971–81 के दशक में 43.60 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा वर्ष 1991 से 2001 के विगत दशक में वृद्धि दर 29.68 प्रतिशत रही है।

विगत वर्षो में नगर के विकास एवं विस्तार के साथ–साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है। पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है तथा शहर का अनियोजित, अव्यवस्थित विस्तार हो रहा है। रिहायशी मकानों की कमी है तथा बेघर परिवारों की संख्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण, कूड़ा–करकट विसर्जन की समस्या, सिवरेज लाईन का अभाव, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात दबाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी, मल–जल निकास की समस्या, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, अनाधिकृत विकास, आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण जनक उद्योग आदि यहाँ की ज्वलन्त समस्याऐं है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि नगर की उत्तरोतर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित आधारभूत एवं अन्य नगरीय सुविधाएँ प्रदान की जावें। वस्तुतः कस्बे के भावी विकास को दिशा–निर्देश देने हेतु एक दीर्घकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है। अतः कस्बे के सुनियोजित एवं सन्तुलित विकास के लक्ष्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए कस्बे का मास्टर प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं वर्तमान में रानी खुर्द के विस्तार एवं विकास प्रवृति को दृष्टिगत रखते हुए इसके सुनियोजित विकास हेतु, राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 16 जुलाई, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर रानी खुर्द सहित 9 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए इसका नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर को इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया, तत्पश्चात् राज्य सरकार ने 14 फरवरी, 2011 को संशोधित अधिसूचना जारी कर 9 ग्रामों में से 1 ग्राम खिमेल को विलोपित किया गया। इन अधिसूचना की अनुपालना में नगर नियोजन विभाग के निर्देशन में आवास विकास लिमिटेड़ के माध्यम से इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स

इंडिया, जयपुर द्वारा रानी खुर्द कस्बे का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना का आधार वर्ष 2010 एवं क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है । प्रस्तुत मास्टर प्लान रिपोर्ट के साथ में नगर मानचित्र, विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र–2010, प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र–2031 तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र आदि संलग्न है।

रानी खुर्द के आधार वर्ष 2010 में विद्यमान कुल विकसित क्षेत्र 560 एकड़ (226.92 हे.) है तथा मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में विकास योग्य क्षेत्र 2018 एकड़ (816.68 हे.) प्रस्तावित किया गया है। नगर को तीन योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें से दो नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व एक परिधि नियन्त्रण पट्टी के रूप में दर्शाया गया है। रानी खुर्द, रानी कलां व मोखमपुरा को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जिनकी वर्ष 2031 तक जनसंख्या 42,000 हो जाने का अनुमान है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता के समक्ष आपत्तियों एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिस पर प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की निर्धारित समय अवधि में प्राप्त प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर समुचित सुझाव एवं आपत्तियों को यथासम्भव समाहित कर, मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देकर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

**(चन्द्र शेखर पाराशर)**
वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर जोन, जोधपुर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(104)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 7)

# 2
# विद्यमान विशेषताएँ

# 2.0 विद्यमान विशेषताऐं

## 2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

रानी खुर्द, राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में 25° 21′ उत्तरी अक्षांश एवं 73° 19′ पूर्वी देशान्तर पर, राज्य की राजधानी जयपुर से 327 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय पाली से 70 कि. मी. की दूरी पर स्थित है।

इस नगर की जलवायु शुष्क एवं गर्म है। यहाँ के मौसमीय तापमान में असमानता रहती है। ग्रीष्म काल में तापमान अत्यधिक गर्म तथा शीतकाल में अत्यधिक ठण्डा रहता है, जून सर्वाधिक गर्म एवं जनवरी अत्यधिक ठण्डा माह होता है । यहाँ का औसत अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 40 सेन्टीमीटर है। यहाँ वर्षा दक्षिण–पश्चिमी मानसून के आगमन से होती है, वर्षा ऋतु में तापमान में गिरावट आ जाती है। इस ऋतु में हवा में नमी अधिक रहने से सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 80 प्रतिशत तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचलित हवाओं की दिशा दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर तथा शरद ऋतु में उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर रहती है।

## 2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

रानी खुर्द में कृषि, व्यापार तथा उद्योगों से सम्बन्धित गतिविधियाँ प्रमुख रही है। इस क्षेत्र में भूमि उपजाऊ है, जिससे उक्त क्षेत्र में छोटे–छोटे कृषि सेवा केन्द्र विकसित हो रहे है। कृषि की दृष्टि इस क्षेत्र में बाजरा, ज्वार, मूँग, मोठ, तिलहल, रायड़ा, गेहूँ, जौ आदि की फसलें एवं सब्जियाँ की पैदावार की जाती है। उद्योगों की दृष्टि से गेंती, फावड़ा, लोहे के सरीये, एंगल, चैनल, स्टोन कटिंग मशीन, स्टोन पॉलिशिंग मशीन, क्रेन मशीन, गेन्ट्री क्रेन मशीन, कोटा स्टोन, मारबल, ग्रेनाइट व सेन्ड स्टोन की कटिंग की इकाइयाँ लगी हुई है। नगर में आयातित होने वाले वस्तुओं में, लोहा, कोयला, एवं दवाईयां मुख्य है। यहाँ से निर्मित सामग्री में फावड़ा, गेंती, पाउडर, अचार आदि को राज्य व राज्य के बाहर भेजा जाता है। सूकड़ी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है।

## 2.3 ऐतिहासिक

वर्ष 1879 में दिल्ली से अहमदाबाद रेलवे के आगमन से यह रानी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। रेलवे लाइन के आगमन से इस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ रानी खुर्द नगर पाली जिले में पंचायत समिति मुख्यालय है। पंचायत समिति रानी खुर्द की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को हुई। रानी खुर्द वर्ष 1993 के बाद निरन्तर रूप में नगर पालिका के रूप में कार्यरत है। रानी खुर्द नगरपालिका से पहले ग्राम पंचायत की स्थापना व भवन निमार्ण वर्ष 1950 में हुआ था। नगर पालिका भवन का निमार्ण वर्ष 1998 में हुआ।

रानी एक औद्योगिक, वाणिज्यिक व कृषि प्रधान क्षेत्र है। लोहा, मारबल उद्योग में रानी खुर्द आसपास क्षेत्रों में अग्रणी है। रानी खुर्द शैक्षणिक दृष्टि से एक प्रगतिशील कस्बा है। यहां विभिन्न विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रारम्भ होकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुए है। श्री पृथ्वीराज नवला जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो वर्ष 1950 में प्राथमिक विद्यालय के रूप प्रारम्भ होकर वर्ष 1988–89 में उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत हुआ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1954 में प्राथमिक विद्यालय से प्रारम्भ होकर वर्ष 1988–89 उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत हुआ। इसी तरह निजी क्षेत्र में विभिन्न स्तर के विद्यालयों का शुभारम्भ होकर उनको क्रमोन्नत किया गया है। लीला देवी पारसमल संचेती कन्या महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1998 में की गई। इस महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय है। इस महाविद्यालय में विद्यर्थियों कों बी.सी.ए. की सुविधाऐं उपलब्ध हैं।

रानी खुर्द में पंचायत समिति की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में हुई तथा इसके भवन का निमार्ण 1962–63 मे हुआ। कृषि उपज मंडी समिति का पंजीयन वर्ष 1957 में हुआ व इसके परिसर का निमार्ण वर्ष 1981 में किया गया। दूर संचार कार्यालय के भवन का निर्माण 1988–89 में, उप–डाक घर की स्थापना 1990, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का निर्माण 1991–92 में, ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना 1998 में की गई।

रानी खुर्द नगर धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर सांई धाम, जैन मंदिर, गणपति मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, अम्बामाता का मंदिर, शीतला माता जी का मंदिर, रामचन्द्र जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि धार्मिक महत्त्व के स्थल हैं। यहां पुराने मोहल्लों में राजपुतो का बास, धोका का बास, सिपाहियों का बास, भटवाड़ा, रंगास्वामियों का बास, रेबारियों का बास, हरिजन बस्ती, चौधरियों का बास, हिंगड़ मौहल्ला, मालियों का बास, मोचियों का बास, रेलवे कॉलोनी, प्रताप बाजार, मकरानियों का

मोहल्ला आदि पुराने मोहल्ले हैं। नये आवासीय कॉलोनी के अन्तर्गत बजरंग कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, सुन्दर नगर, आदर्श कॉलोनी, वर्धमान नगर, रामायण नगर, श्रीराम नगर, कृष्णा नगर, तापड़िया नगर, नाकोड़ा नगर, आराधना कॉलोनी आदि विकसित हुई है। यहाँ पुरानी सड़कों में रानीगांव रोड़, हनुमान रोड़, होस्पिटल रोड, मेन बाजार रोड़ आदि है।

## 2.4 जनसांख्यिकीय रूपरेखा

रानी नगर की जनसंख्या वर्ष 1971 में 5653, 1981 में 8123, 1991 में 9556 थी जो वर्ष, 2001 में बढ़कर 12,392 हो गयी है। जनसंख्या आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 1971–81 के दशक मे 43.60 प्रतिशत वृद्वि दर रही है। वर्ष 1991–2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 29.68 प्रतिशत रही है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 17,500 है। विगत वर्षों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के मुख्य कारणों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ–साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार सृजन आदि रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि प्रवृति को तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

**तालिका – 1**

**जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति रानी खुर्द – 1971–2001**

| वर्ष | जनसंख्या | दशकीय अन्तर | वृद्धि दर प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 1971 | 5653 | – | – |
| 1981 | 8123 | 2470 | 43.60 |
| 1991 | 9556 | 1433 | 17.64 |
| 2001 | 12392 | 2836 | 29.68 |

स्त्रोत : भारतीय जनगणना

## 2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार रानी खुर्द नगर में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 26.13 प्रतिशत अर्थात कुल कामगारों की संख्या 2497 थी। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल कामगारों की संख्या 3254 रही है, जो कुल जनसंख्या से कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 26.25 प्रतिशत रहा है। रानी खुर्द में पिछले दशकों में नगरीय गतिविधियों के बढ़ने से कृषि जोत के क्षेत्रफल में कमी होने से कृषि एवं इससे सम्बन्धित व्यावसाय में कामगारों का प्रतिशत घटा है और औद्योगिक गतिविधियों में कामगारों का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष

2001 में कृषि संबंधी व्यावसाय में 10.76 प्रतिशत, उद्योग में 25.20 प्रतिशत, व्यापार एवं वाणिज्य में 29.81 प्रतिशत, निर्माण में 5.99 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 9.83 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 18.41 प्रतिशत कामगार कार्यरत रहे हैं। तालिका संख्या–2 में वर्ष 1991 तथा 2001 की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है :–

**तालिका–2**

**व्यावसायिक संरचना, रानी खुर्द, 1991–2001**

| क्रम संख्या | व्यावसाय | 1991 | | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कामगाारों की संख्या | कामगारो का प्रतिशत | कामगाारों की संख्या | कामगारों का प्रतिशत |
| 1. | कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य | 294 | 11.77 | 350 | 10.76 |
| 2. | उद्योग | 619 | 24.79 | 820 | 25.20 |
| 3. | व्यापार एवं वाणिज्य | 740 | 29.64 | 970 | 29.81 |
| 4. | निर्माण | 146 | 5.85 | 195 | 5.99 |
| 5 | परिवहन एवं संचार | 240 | 9.61 | 320 | 9.83 |
| 6 | अन्य व्यवसाय | 458 | 18.34 | 599 | 18.41 |
| | योग | 2497 | 100.00 | 3254 | 100.00 |

स्त्रोत :– भारतीय जनगणना

## 2.6 विद्यमान भू–उपयोग

रानी खुर्द नगर का नगरीयकृत क्षेत्र 885 एकड़ (358.45 हेक्टेयर) है, जिसमें से विद्यमान विकसित क्षेत्रफल 560 एकड़ (226.92 हेक्टेयर) है व शेष 325 एकड़ (131.53 हेक्टेयर) भूमि – कृषि, खुली भूमि पहाड़ी, नदी–नालों एवं जलाशयों के अन्तर्गत आती है। कुल विकसित क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र सर्वाधिक है, जो 298 एकड़ (120.60 हेक्टेयर) है तथा विकसित क्षेत्र का 53.21 प्रतिशत है। परिसंचरण उपयोग विकसित भू–उपयोग का दूसरा प्रमुख भू–उपयोग है। यह 155 एकड़ (62.73 हेक्टेयर) भूमि में फैला हुआ है, जो कि विकसित क्षेत्र का 27.67 प्रतिशत है। सार्वजनिक एव अर्द्ध–सार्वजनिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 35 एकड़ (14.16 हेक्टर) भूमि हैं जो विकसित क्षेत्र का 6.25 प्रतिशत है। औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 30 एकड (12.14 हेक्टयर), वाणिज्यिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 29 एकड (11.74 हेक्टेयर), राजकीय भू–उपयोग

के अन्तर्गत 11 एकड़ (4.65 हेक्टेयर) तथा आमोद–प्रमोद के भू–उपयोग में 2 एकड़ (0.81 हेक्टेयर) भूमि विद्यमान है।

रानी खुर्द के वर्तमान भू–उपयोग को तालिका संख्या–3 में दर्शाया गया है :–

**तालिका–3**

**विद्यमान भू–उपयोग, रानी खुर्द–2010**

| **क्र.सं.** | **भू–उपयोग** | **क्षेत्रफल एकड़ में (हैक्टेयर में)** | **विकसित क्षेत्र का प्रतिशत** | **नगरीकृत क्षेत्र का प्रतिशत** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय | 298 ( 120.60) | 53.21 | 33.67 |
| 2. | वाणिज्यिक | 29 (11.74) | 5.17 | 3.27 |
| 3. | औद्योगिक | 30 (12.14) | 5.35 | 3.38 |
| 4. | राजकीय | 11 (4.65) | 1.96 | 1.24 |
| 5. | आमोद–प्रमोद | 2 (0.81) | 0.36 | 0.23 |
| 6. | सार्वजनिक एवम् अर्द्ध सार्वजनिक | 35 (14.16) | 6.25 | 3.95 |
| 7. | परिसंचरण | 155 (62.73) | 27.67 | 17.51 |
| | **कुल विकसित क्षेत्र** | **560 (226.92)** | **100.00** | – |
| 8. | कृषि भूमि एवं खुली भूमि | 287 (116.15) | – | 32.42 |
| 9. | जलाशय,नदी–नाले | 13 (5.26) | – | 1.46 |
| 10. | पहाड़ी | 25 (10.12) | – | 2.82 |
| | **नगरीयकृत क्षेत्र** | **885 (358.45)** | **–** | **100.00** |

स्त्रोत– सलाहकार के सर्वेक्षण

## 2.6 (1) आवासीय

रानी खुर्द में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 298 एकड़ (120.60 हेक्टेयर) भूमि है जो कि नगर के विकसित क्षेत्रफल का 53.21 प्रतिशत है। आवासीय भू–उपयोग अन्य उपयोगों से सर्वाधिक है। वर्ष 2001 में यहाँ की जनसंख्या 12392 तथा मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 17500 होने का आंकलन किया गया है। नगर का औसत घनत्व लगभग 29.72 व्यक्ति प्रति एकड हैं तथा आवासीय जन घनत्व 55 व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने आवासीय क्षेत्रों में एवं कच्ची बस्तियों में आवासीय घनत्व अधिक हैं। नगर के भीतरी क्षेत्र में निर्मित आवासीय भवन एक–दूसरे से सटे हुए है, एवं अधिकांशतः दो मंजिले हैं। नगर के भीतर आवासीय क्षेत्रों में सड़कों की चौडाई कम है। पुराने मोहल्लों में विभिन्न जातियों एवं धर्मो के लोग निवास करते है।

नगर के बाहर के आवासीय क्षेत्रों में निर्मित भवन एक–दूसरे से सटे न होकर बिखरे रूप में हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश भवन भू–तल तक बने हुए है। इन क्षेत्रों में बसी आवासीय बस्तियों में बजरंग कॉलोनी, कन्तुनाथ कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, सुन्दर नगर, आदर्श कॉलोनी, वर्द्धमान नगर, रामायण नगर, श्रीराम नगर, कृष्णा नगर, बालाजी नगर, नाकोड़ा नगर, तापड़िया नगर आराधना कॉलोनी आदि हैं।

## 2.6 (1) (अ) आवासन

वर्तमान में रानी खुर्द नगर पालिका 15 वार्डों में विभक्त है। अधिकांश मकान पक्के बने हुये हैं, जो दो मंजिल तक के हैं। यहां रेलवे कॉलोनी स्थित है। रेलवे विभाग के 45 क्वाट्र्स निर्मित है।

## 2.6 (1) (ब) कच्ची बस्तियाँ

रानी खुर्द में नगर पालिका क्षेत्र मे 1 कच्ची बस्ती है, जो वार्ड संख्या 1 में स्थित है। कच्ची बस्ती में सुविधाओं का प्रायः अभाव है।

## 2.6 (2) वाणिज्यिक

कस्बे में सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध बाजार का अभाव है। अधिकांश थोक एवं खुदरा व्यापार मुख्य बाजार, प्रताप बाजार में होता है। सड़को की कम चौड़ाई के कारण इन बाजारों में बहुत ही भीड़–भाड़ रहती है तथा आवागमन अवरूद्ध होने की समस्या बनी रहती है। कम

जगह के कारण यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की कोई सम्भावना नहीं है। आवासीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित व्यावसायिक केन्द्र के अभाव में अनियन्त्रित एवं अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। यहाँ पर लोहा इस्पात, पत्थर, फल–सब्जी एवं ईमारती लकड़ी, इलेक्ट्रोनिक्स आदि व्यवसायों की दुकाने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित है। रानी नगर में नियोजित रूप से ''सी'' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी संचालित है जिसका क्षेत्रफल 21 एकड़ (8.50 हेक्टर) है। जिसमें दुकाने मय गोदाम 40, फुटकर दुकाने 12, ग्रामीण गोदाम 1, नीलामी चबूतरा कवर्ड 1, चबूतरा बिना कवर्ड 1, कृषक विश्राम गृह, वाटर हार्वेस्टिंग के लिये पानी का टांका आदि बने हुए है। मण्डी में गेहूँ, जौ, चना, मक्का, मैथी, तिल, मूँग, कपास आदि जीन्स की आवक रहती है।

### 2.6 (3) औद्योगिक

रानी खुर्द एक औद्योगिक नगरी है। यहां लगभग 80 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत लगभग 30 एकड़ (12.14 हेक्टेयर) भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 5.35 प्रतिशत है। रानी नगर में प्रमुख रूप से कोटा स्टोन, ग्रेनाईट, सेण्ड स्टोन, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग की इकाईया लगी हुई है। लोहे के सरिये, एंगल, चद्दर, पत्ती, लोहे के तार, कील, कृषि यंत्र, गेंती–फावड़ा, स्टोन एज कटिंग मशीन, स्टोन पॉलिशिंग मशीन, क्रेन मशीन, गेन्ट्रीक्रेन, डोला मशीन, पॉवर प्रेस मशीन, मोटर बॉडी, ऑइल मिल आदि औद्योगिक इकाईयां स्थापित है। रानी खुर्द में स्थित उद्योगों को तालिका संख्या–4 में दर्शाया गया है।

**तालिका–4**

**औद्योगिक संरचना, रानी खुर्द–2010**

| क्र. सं. | उद्योग का प्रकार | इकाईयों की संख्या | कामगारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | स्टोन कटिंग एंव पॉलिशिंग | 37 | 209 |
| 2. | लोहा सामग्री से सम्बन्धित उद्योग | 19 | 267 |
| 3. | मशीनरी उद्योग | 15 | 134 |
| 4 | अन्य उद्योग | 58 | 300 |
| | **योग** | **129** | **910** |

स्त्रोत : सलाहकार सर्वेक्षण

## 2.6 (4) राजकीय

### 2.6 (4) (अ) सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालय

रानी खुर्द नगर पंचायत समिति का मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर छोटे–बड़े 25 सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं, जिनमें लगभग 372 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत 11 एकड़ (4.65 हेक्टेयर) भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 1.96 प्रतिशत है। विभिन्न कार्यालय बिखरे हुए निजी/स्वयं के भवनों में कार्यरत है।

नगर में वर्ष 2010 में सरकारी व अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों का विवरण तालिका संख्या–5 में दर्शाया गया है।

**तालिका–5**

**सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालयों का विवरण, रानी खुर्द–2010**

| क्र.सं. | कार्यालयों का प्रकार | कार्यालयों की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्र सरकार के सरकारी एवम् अर्द्ध सरकारी कार्यालय | 4 | 110 |
| 2. | राज्य सरकार के सरकारी एवम् अर्द्ध सरकारी कार्यालय | 21 | 262 |
| | **योग** | **25** | **372** |

स्त्रोत : सलाहकार के सर्वेक्षण

## 2.6 (5) आमोद–प्रमोद

रानी खुर्द में नियोजित रूप से विकसित आमोद प्रमोद के स्थलों का अभाव है। इस भू–उपयोग के 2 एकड़ (0.81 हैक्टेयर) भूमि है जो विकसित क्षेत्र का 0.36 प्रतिशत है।

### 2.6 (5) (अ) उद्यान एवं खुले स्थल

पर्यावरण की दृष्टि उद्यान एवं खुले स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नगर में महादेव मन्दिर के समीप एक उद्यान स्थित है।

### 2.6 (5) (ब) स्टेडियम एवं खेल के मैदान

यहाँ पर खेलकूद इत्यादि गतिविधियों के लिये धर्मवीर मैदान, मण्डी मैदान एवं हाई स्कूल खेल मैदान आदि स्थित है।

### 2.6 (5) (स) मेले एवं पर्यटन सुविधायें

यहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला महागौरी शंकर मंदिर में लगता है तथा दशहरे का मेला धर्मवीर मैदान में आयोजित होता है। इन मेलों में बड़ी संख्या में आस–पास के लोग सम्मिलित होते हैं।

### 2.6 (5) (द) अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन

कस्बें में अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की उपलब्धता नगरीय सुविधाओं के अनुरूप नहीं हैं। वर्तमान में कस्बे में एक सिनेमाघर संचालित है।

### 2.6 (6) सार्वजनिक एवम् अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ

वर्तमान में रानी खुर्द में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोग के अन्तर्गत 35 एकड़ (14.16 हेक्टेयर) क्षेत्र है जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.31 प्रतिशत है।

### 2.6 (6) (अ) शैक्षणिक

रानी खुर्द में शिक्षण संस्थाएं समुचित संख्या में हैं। यहाँ पर निजी व राजकीय स्तर की कुल 19 शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें कुल 5129 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन संस्थाओं में लगभग 244 अध्यापक कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में व राजकीय शिक्षण संस्थान में से कुछ ही शिक्षण संस्थानों में खेल के मैदान की सुविधा है। तालिका संख्या–6 में रानी खुर्द में स्थित शिक्षण संस्थाओं को दर्शाया गया है।

**तालिका–6**

**शैक्षणिक संरचना, रानी खुर्द–2010**

| क्र.सं. | शिक्षण संस्थानों का प्रकार | संस्थानों की संख्या | विद्यार्थियों की संख्या | कार्मिको की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | महाविद्यालय | 1 | 426 | 28 |
| 2. | माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय | 6 | 2311 | 137 |
| 3. | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 9 | 2079 | 67 |
| 4. | प्राथमिक विद्यालय | 3 | 313 | 12 |
| | **कुल** | **19** | **5129** | **244** |

स्त्रोत– सलाहकार सर्वेक्षण

## 2.6 (6) (ब) चिकित्सा

रानी खुर्द एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय, मुख्य बाजार तथा जनाना हास्पिटल, प्रताप बाजार में स्थित है। इनमें 30 शैय्याओं की व्यवस्था है। कस्बे में 5 निजी स्तर के हास्पिटल/क्लिनिक संचालित हैं। रानी खुर्द में एक जे.के. डेन्टल केयर चिकित्सालय भी है। नगर में चिकित्सा सेवाओं की वर्ष 2010 में उपलब्धता तालिका संख्या–7 में दर्शाई गई है।

**तालिका–7**

**चिकित्सा सेवाएं, रानी खुर्द–2010**

| क्र.सं. | चिकित्सालय/क्लिनिक | शैय्याओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय | 30 |
| 2. | जे. के. डेन्टल केयर | 2 |
| 3. | दोलीया हास्पिटल | 2 |
| 4. | लॉयन्स हॉस्पिटल | 10 |
| 5. | सांई क्लिनिक | – |
| 6. | रमेश क्लिनिक | – |
| 7. | योग | 44 |

स्त्रोत : सलाहकार सर्वेक्षण

## 2.6 (6) (स) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

रानी खुर्द में डाकघर, बैंक, दूरसंचार केन्द्र धर्मशालाएं पुलिस थाना तथा एक पुलिस चौकी भी है। यहां कृषि उपज मंडी समिति संचालित है और नगर पालिका के पास अग्निशमन सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए एक सिनेमा हॉल है। आम जन के पठन–पाठन हेतु वाचनालय संचालित है जहां विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ी जा सकती हैं।

## 2.6 (6) (द) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

रानी खुर्द कस्बे में सांईधाम, अम्बा व शीतला माता का मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव, गौरी शंकर महादेव, हनुमानजी मंदिर, पार्श्वनाथजी, रामेदवजी व रामचन्द्र जी के मंदिर, राधाकृष्ण धाम, मस्जिद व गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थल हैं।

## 2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएँ

रानी खुर्द में पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं मल–जल निस्तारण की व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। अतः नगर के विस्तार के साथ–साथ इन जनोपयोगी सुविधाओं का उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

## 2.6(6) (य) (1) जलापूर्ति

पानी आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत जवाई बाँध है। जवाई– पाली पाइप लाइन से रानी खुर्द को जलापूर्ति की जाती है। शहरी क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध है वहां 135 लीटर व अन्यत्र 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति के मापदण्ड तय है। रानी खुर्द में जल वितरण हेतु दो उच्च जलाशय (OHSR) व एक स्वच्छ जलाशय है (CWR) है। रानी खुर्द में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मानक 100 लीटर के स्थान पर 48 घण्टे के अंतराल पर 100 लीटर जलापूर्ति की जा रही है। रानी खुर्द में जनस्वास्थ्स्य अभियांत्रिकी विभाग के दो ट्यूबवेल हैं व एक ऑपन वेल है।

रानी खुर्द में जल वितरण हेतु 2 ओवर हेड टैंक है। एक ओवर हेड टैंक जनस्वास्थ्य एवम् अभियांत्रिकी विभाग के परिसर में तथा दूसरा तालाब के पास स्थित है। यहाँ 48 घंटे में एक बार जलापूर्ति की जाती है। रानी खुर्द में वर्ष 2010 में जलापूर्ति हेतु कनेक्शन एवं उपभोग को तालिका संख्या–8 में दर्शाया गया है।

**तालिका–8**

**जलापूर्ति, रानी खुर्द–2010**

| क्र.सं. | जल उपयोग के प्रकार | जन सम्बन्धों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | घरेलू | 2691 |
| 2. | वाणिज्यिक | 110 |
| 3. | औद्योगिक | 148 |
| 4. | अन्य | 13 |
| | **कुल** | **2962** |

स्रोत : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रानी खुर्द

## 2.6 (6) (य) (2) मल–जल निस्तारण एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

रानी खुर्द मे मल जल निस्तारण की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मल जल का निस्तारण नालियों मे ही किया जाता है। कस्बे मे भूमिगत गंदे पानी एवं मल के निस्तारण को उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जल निकासी के लिए नालियां व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कई क्षेत्रों एवं कच्ची बस्तियों मे नाली सुविधाएं नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैलता रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वर्षा ऋतु में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। वर्तमान में ठोस कचरा निस्तारण के लिए छोटी रानी कच्चे रास्ते पर भूमि आवंटित है जिसका क्षेत्रफल 1.46 हेक्टर है।

## 2.6 (6) (य) (3) विद्युत आपूर्ति

रानी खुर्द में विद्युत आपूर्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा की जाती है। ऊर्जा की आपूर्ति 33 के.वी. फीडर सब स्टेशन, 220/33 के.वी.जी.एस.एस. से की जाती है। यह विद्युत आपूर्ति भीलवाड़ा व जोधपुर से प्राप्त होती है। नगर के विभिन्न भागों में औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो जाने से घरेलू उपयोग एवं औद्योगिक आपूर्ति हेतु प्रयोग में आने वाली विद्युत लाईन बहुत ही अनियन्त्रित तरीके से बिछाई गई है। जिससे नगर के कई क्षेत्र प्रभावित हुऐ व नियोजन में भी विद्युत लाईनें बाधक बनी है। स्ट्रीट लाईट व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। नगर में वर्तमान विद्युत सम्बन्धों को तालिका संख्या–9 में दर्शाया गया है।

**तालिका–9**

**विद्युत आपूर्ति, रानी खुर्द–2010**

| क्र.सं. | विद्युत सम्बन्धों का प्रकार | विद्युत सम्बन्धों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | घरेलू | 2632 |
| 2. | वाणिज्यिक | 693 |
| 3. | औद्योगिक | 132 |
| 4. | रोड़ लाइट पॉइंट | 6 |
| 5. | अन्य | 81 |
| | **कुल** | **3544** |

**स्त्रोत :–** विद्युत वितरण निगम

## 2.6 (6) (य) (4) श्मशान एवं कब्रिस्तान

रानी खुर्द कस्बे में विभिन्न समाज व धर्मो के श्मशान /कब्रिस्तान स्थित है। इनको विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

## 2.6 (7) परिसंचरण

रानी खुर्द राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पाली जिला मुख्यालय यहाँ से 70 किमी. की दूरी पर स्थित है। रानी खुर्द रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्कित होने से परिवहन की दृष्टि से इस कस्बे की महत्ता बढ़ी है। इस भू–उपयोग के अन्तर्गत लगभग 155 एकड़ (62.73 हेक्टेयर) भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्रफल का 27.67 प्रतिशत है।

### 2.6 (7) (अ) यातायात व्यवस्था

नगर में संकड़ी गलियाँ हैं, जिनकी चौड़ाई अनियमित है तथा लगभग 10 फीट से 25 फीट के मध्य है, जो सुगम आवागमन एवं यातायात के लिए अपर्याप्त है। थोक एवं फुटकर व्यापार एवं व्यवसाय भी इन्हीं मार्गों पर होता है, जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए वाहनों के लिए अपर्याप्त है। यहाँ की सड़कों की सामान्य चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं है। सड़कों को संकड़ा कर दिया गया है। वर्तमान बस स्टेण्ड रेलवे क्रासिंग के पास में स्थित है जहां भीड़ भरे क्षेत्र में भारी वाहनों का संचालन करना जोखिम भरा हुआ है। नगर के विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह अपर्याप्त है। पार्किंग स्थल अपर्याप्त होने से वाहन सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में खड़े किये जाते हैं। इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है तथा दुर्धटनाओं की संभावना बनी रहती हैं तथा भीड़ भरे क्षेत्र में वाहनों से प्रदूषण अधिक फैलता है।

### 2.6 (7) (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

वर्तमान बस स्टेण्ड नगर में अव्यवस्थित रूप में स्थित है। यह नगर के लिए अपर्याप्त है यहाँ कोई नियमित ट्रक स्टेण्ड या ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। वर्तमान में ट्रासपोर्ट एजेन्सियाँ मुख्य सड़को के सहारे कार्य कर रही हैं। मुख्य सड़को के मार्गाधिकार में ही ट्रकों के लदान कार्य होने से यहाँ यातायात अवरूद्ध रहता है।

### 2.6 (7) (स) रेल सेवा/हवाई सेवा

रानी स्टेशन रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहां हवाई पट्टी या हेलीपेड स्थित नहीं है। संभागीय मुख्यालय जोधपुर में हवाई सेवा उपलब्ध है।

# 3
# नियोजन की संकल्पना

# 3.0 नियोजन की संकल्पना

प्राचीन काल से ही मानव अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं के आदान–प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं धार्मिक पूजा–पाठ, सामाजिक क्रियाकलापों के लिए समूह में रहता रहा है। इन सभी पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वरूप ही नगरों की संरचना आरम्भ हुई। नगर के भौतिक स्वरूप व इसकी संरचना में इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नगरवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मध्यकाल के दौरान सुरक्षा ही मानव का मुख्य लक्ष्य था। अतः नगरों का विकास सामरिक महत्व के स्थलों जैसे जलाशयों, पहाड़ियों के मध्य होना प्रारम्भ हुआ। बाद में ये प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा आदि के केन्द्र बने व आर्थिक गतिविधियों उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक एवं यातायात इत्यादि का विकास होता रहा। इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् से सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जिसके फलस्वरूप लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का तेजी से विकास हुआ। विकास की तीव्र प्रवृत्ति से नगर नियोजकों को नगरों के सुनियोजित विकास योजनाओं को बनाने की ओर सोचना पड़ा, अन्यथा योजना के अभाव में ये नगर अनियोजित रूप में विकसित हो जाते। शहर में भारी यातायात दबाव व भीड़–भाड़ जैसी विकट समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं। अतः इन समस्याओं के निराकरण एवं नगरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु आवश्यकता महसूस की गई।

भौतिक नियोजन या नगर का प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा किसी भी नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप विकास की दिशा में विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की संरचना तैयार की जाती है। एक बार यदि नगर के सम्बन्ध में कोई बड़े निर्णय कर लिये जाते हैं तो प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण हेतु एक ढांचे के सन्दर्भ में क्रियान्वयन आसान हो जाता है तथा इससे नगर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नियोजन की भाषा में इस प्रकार के सुन्दर स्वरूप को मास्टर प्लान कहा जाता है। मास्टर प्लान में भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित विवरण होता है। इसमें भू–उपयोग योजना के अलावा अन्य मानचित्र भी सम्मिलित होते हैं। भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को विस्तार से व्याख्या करने की विधि है। यह

कुशल यातायात व्यवस्था से सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों एवं कार्यों के वितरण को भी दर्शाता है।

मास्टर प्लान नगर के प्रशासन और जनता को निश्चित मार्ग दर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की जन साधारण की प्रबल आकांक्षा होती है। अतः कतिपय मान्यतायें निर्धारित करके उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर नगर का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। रानी खुर्द के नगरीय क्षेत्र के प्रारूप मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया है।

## 3.1 नियोजन की नीतियाँ

रानी खुर्द नगर के संतुलित एवं समग्र भावी विकास को उचित दिशा प्रदान करना ही मास्टर प्लान का उद्देश्य है। अतएव नगर की सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आंकलन निर्धारण कर इनका युक्तियुक्त वितरण इस प्रकार किया गया कि नगरवासियों को स्वास्थ्यप्रद एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके। रानी स्टेशन विशेष रेल परियोजना मुम्बई–दिल्ली डेडिकेटेड फ्रिट कोरीडोर के कारण हाईस्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ जाने एवं सरकारी विकासोन्मुखी योजनाओं से इस क्षेत्र में तीव्रगति से औद्योगिकीकरण के साथ अन्य गतिविधियाँ भी विकसित होगी। रानी खुर्द का मास्टर प्लान बनाते समय मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ध्यान मे रखते हुए नगर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास की नीति अपनाई गई है।

## 3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपरोक्त नियोजन नीतियों की पालना में निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैंः–

1. औद्योगिक क्षेत्रों के पर्यावरण को मध्यनज़र रखते हुए सन्तुलित एवं समुचित इलाकों में स्थापित किये जाने चाहिए जिससे नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और औद्योगिक विकास के साथ–साथ रोजगार का सृजन हो सके।
2. वाणिज्यिक गतिविधियों के वितरण हेतु पुराने शहर पर कम दबाव हो, अतः नये वाणिज्यिक केन्द्रों का समुचित आवासीय क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। थोक व्यापार के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसके साथ–साथ गोदामों का प्रावधान किया जाना भी आवश्यक है।

3. सरकारी एवम् अर्द्ध–सरकारी कार्यालय एक संगठित क्षेत्र में स्थापित हो, उसके समीप आवास हेतु पर्याप्त भूमि हो एवं इनका सीधा सम्पर्क मुख्य सड़कों से होना चाहिए।

4. आवासीय घनत्व की विषमता को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य स्थलों का समुचित विकास, मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि पुराने शहर के निवासी बाहरी क्षेत्रों में निवास हेतु आकर्षित हो सके।

5. भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए सावधानी पूर्वक स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।

6. सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का इस तरह सन्तुलित वितरण किया जाना चाहिए जिससे नगरवासी उपरोक्त स्थलों तक आसानी से पहुंच सके।

7. विरासत के रूप में प्राप्त ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नगर की परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सके।

8. नगर के लिए यातायात की ऐसी कुशल व्यवस्था विकसित की जावे जो भू–उपयोग योजना के अनुरूप हो। बस स्टेण्ड एवं माल गोदाम के स्थलों का विकास उचित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों का प्राावधान किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने हेतु वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए।

9. नगर की परिधि पर किसी भी प्रकार के अनियोजित व अवांछित विकास को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से नगरीकरण योग्य सीमाओं के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी बनायी जावे। इस पट्टी के अन्दर की ओर ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमों व अनुज्ञेय प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।

10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को योजना क्षेत्रों में बाँटा जाये। भू–उपयोग का निर्धारण इस प्रकार किया जावे की पुराने शहर व नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों में सामंजस्य बना रहे। विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवम् अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से स्वपूरित व आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्य क्षेत्रों के साथ–साथ उनके समीप ही विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों को विकसित किया जावे तथा वहीं पर सामुदायिक एवं जनोपयोगी

सुविधाओं आदि का विकास किया जाए, ताकि जीवन स्तर के उच्च मानक प्राप्त किए जाकर जीवन सुविधाजनक हो सके।

रानी खुर्द का मास्टर प्लान यहाँ के लोगों की भावी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मास्टर प्लान का प्रारूप विभागीय नीति एवं जनहित में मार्गदशक के रूप में आगामी 21 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। यह प्लान वर्ष 2010 के आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित है। इसका क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। अतः यह एक दीर्घकालीन योजना है जो भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं के सन्तुलित एवं समग्र विकास का अभिनव प्रयास है। यह प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात यह एक वैधानिक दस्तावेज बन जाता है।

# 4
# भावी आकार

# 4.0 भावी आकार

वर्ष 2001 में रानी खुर्द नगर की जनसंख्या 12392 थी जो मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में लगभग 30000 होने का अनुमान है। चूंकि रानी कलां एवं मोखमपुरा भौतिक रूप से रानी खुर्द से सटे हुए है एवं भावी विकास भी इनके आस पास ही होना है, अतः इन दोनों राजस्व ग्रामों को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। इन दोनों ग्रामों की योजना अवधि में जनसंख्या 12000 होने का अनुमान है, इस प्रकार मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में रानी खुर्द के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में कुल जनसंख्या 42000 हो जाने का अनुमान है।

**जनांकिकी**

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर रानी खुर्द की जनसंख्या 12392 थी। 1991–2001 के दशक के दौरान यह वृद्धि दर 29.68 प्रतिशत रही। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक इसकी जनसंख्या 30000 तक हो जाएगी। रानी खुर्द के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में रानी कलां व मोखमपुरा गांव सम्मिलित है दोनों गांव रानी खुर्द नगर पालिका क्षेत्र से सटे हुए है तथा वहां पर विकास एवं विस्तार तेजी से हो रहा है। इनकी जनसंख्या योजना अवधि में 12000 तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इस प्रकार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या 42000 आंकलित की गयी है। रानी खुर्द की वर्ष 1971 से 2031 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका संख्या–10 में दर्शाया गया है।

**तालिका संख्या–10**

**जनसंख्या वृद्धि एवम् अनुमान, रानी खुर्द –1971–2031**

| क्र.सं. | वर्ष | जनसंख्या | वृद्धि अन्तर | प्रतिशत वृद्धि दर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971 | 5653 | – | – |
| 2. | 1981 | 8123 | 2470 | 43.60 |
| 3. | 1991 | 9556 | 1433 | 17.64 |
| 4. | 2001 | 12392 | 2836 | 29.68 |
| 5. | 2011 | 23900* | 11508 | 92.87 |
| 6. | 2021 | 31700* | 7800 | 32.64 |
| 7. | 2031 | 42000* | 10300 | 32.49 |

स्त्रोत : जनगणना भारत सरकार, * नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि, औद्योगीकरण से प्रवासीकरण को ध्यान में रखा गया है। प्रवास (माइग्रेशन) का आंकलन करते समय नगर की अर्थव्यवस्था की भावी सम्भावनाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखा गया है।

### 4.2 व्यावसायिक संरचना

क्षितिज वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 32 प्रतिशत होने का अनुमान है। नगर की व्यावसायिक संरचना का आंकलन करते समय औद्योगिक विकास व आर्थिक गतिविधियों की सम्भावनाओं पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। वर्ष 2031 में कामगारों की संख्या लगभग 14400 हो जाने का अनुमान है। जिले का पंचायत समिति मुख्यालय होने के कारण वर्ष 2031 तक रानी खुर्द पूर्ण आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय केन्द्र बना रहेगा। उद्योग में 4032, निर्माण में 1296, परिवहन एवं संचार में 1440, व्यापार व वाणिज्य में 4320, कृषि एवं सम्बंधित कार्य में 1152 कामगारों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना तथा प्रत्येक वर्ग में काम करने वालों का प्रतिशत तालिका संख्या–11 में दर्शाया गया है।

**तालिका–11**

**अनुमानित व्यावसायिक संरचना, रानी खुर्द –2031**

| क्र.सं. | व्यवसाय | काम करने वालों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य | 1152 | 8.00 |
| 2. | उद्योग | 4032 | 28.00 |
| 3. | व्यापार एवं वाणिज्य | 4320 | 30.00 |
| 4. | निर्माण | 1296 | 9.00 |
| 5. | परिवहन एवं संचार | 1440 | 10.00 |
| 6. | अन्य सेवाएँ | 2160 | 15.00 |
| | **कुल योग** | **14400** | **100.00** |

स्त्रोत : सलाहकार के अनुमान

## 4.3 नगरीय क्षेत्र

रानी खुर्द नगर का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत रानी खुर्द सहित 8 राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया है। रानी खुर्द नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 19970 एकड़ (8081.86 हेक्टेयर) है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारो ओर अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि क्षेत्र की महता को द्वष्टिगत रखते हुए परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। रानी खुर्द के नगरीय क्षेत्र को तीन योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

## 4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

सन् 1991 की जनगणना अनुसार कस्बे की जनसंख्या 9556 थी जो सन् 2001 मे बढ़कर 12392 हो गई। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष, 2031 तक रानी खुर्द के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 42000 हो जाने का अनुमान है। योजना अवधि वर्ष 2031 तक बढी हुई जनसंख्या के आवास एवं विभिन्न उपयोग हेतु 1463 एकड़ (592.07 हे.) अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। मास्टर प्लान में सन् 2031 तक के लिए 2018 एकड (816.68हे.) क्षेत्र विकास योग्य एवं 2031 एकड़ (821.95 हे.) नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कस्बे के विद्यमान स्वरूप, उपलब्ध भौतिक आधारभूत सुविधाओं, विकास एवं विस्तार की दिशाओं, सम्भावनाओं, भूमि की उपलब्धता, योजना की परिकल्पना आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नगर की सभी तरह की भावी नगरीय गतिविधियां नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के अन्दर ही प्रस्तावित की गयी है जिन्हे नियन्त्रित करने के उद्वेश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

## 4.5 योजना क्षेत्र

रानी खुर्द नगर के समग्र, समन्वित, सन्तुलित, सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास तथा सौन्दर्यकरण व पर्यावरण संरक्षण के उद्वेश्य से इसके नगरीय क्षेत्र को 3 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। योजना क्षेत्रों का निर्धारण करते समय यहाँ के भौतिक स्वरूप विकास के प्रतिरूप, विकास की दिशा–प्रवृति, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों की स्थिति एवं नगरीयकरण योग्य सीमा से बाहर होने वाले अनाधिकृत विकास पर अंकुश आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रानी खुर्द में रेलवे लाइन के पूर्वीभाग को पूर्वी योजना क्षेत्र व पश्चिमी भाग को पश्चिमी योजना क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है जिनकी अन्तिम सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक होगी। ये दोनो योजना क्षेत्र आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से अर्थात् मानवीय आवश्यकताओं

/नगर स्तरीय सुविधाओं की दृष्टि से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर होंगे। इसी तरह नगरीयकरण योग्य सीमा के चारों ओर इसकी सीमा से बाहर आवरण के रूप में नगरीय सीमा तक परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। योजना अवधि में विभिन्न नगरीय गतिविधियों को नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सीमित रखने, कृषि को महत्व देने एवं पर्यावरण संरक्षण में परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र की महती आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्र मानचित्र में अधिसूचित 8 राजस्व ग्रामों की सीमा, वर्तमान नगरीयकृत क्षेत्र की सीमा व योजनावधि में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा को दर्शाया गया है। योजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

**तालिका–12**

**योजना क्षेत्र, रानी खुर्द–2031**

| क्र.सं. | योजना क्षेत्र | क्षेत्रफल एकड़ में (हैक्टेयर में) | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| अ | पूर्वी योजना क्षेत्र | 664 (268.72) | 14000 |
| ब | पश्चिमी योजना क्षेत्र | 1367 (553.22) | 28000 |
| | नगरीयकरण योग्य क्षेत्र | **2031 (821.95)** | **42000** |
| स | परिधि नियंत्रण पट्टी | 17939 (7259.91) | – |
| | **अधिसूचित कुल नगरीय क्षेत्र** | **19970 (8081.86)** | – |

स्त्रोत : सलाहकार के अनुमान।

### 4.5 (अ) पूर्वी योजना क्षेत्र

यह योजना क्षेत्र रेलवे लाइन के पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए नगरीयकरण योग्य सीमा तक निर्धारित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, राजकीय चिकित्सालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डाकघर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टर, दूरसंचार विभाग, आदि स्थित हैं। इस योजना क्षेत्र में राजकीय कार्यालय, विद्यालय जन–उपयोगी सुविधाएं, पार्क, अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए युक्तिसंगत रूप से स्थल प्रस्तावित किए गए है। इस योजना क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी की सड़कें प्रस्तावित की गई है। इय योजना क्षेत्र में प्रस्तावित भू–उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गए हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 664 एकड़ (268.72 हे.) होगा जिसमें लगभग 14000 जनसंख्या निवास करेगी।

### 4.5 (ब) पश्चिमी योजना क्षेत्र

यह योजना क्षेत्र रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर स्थित है। जिसकी अन्तिम सीमा विद्यमान रानी कलां गांव के उत्तर–पश्चिम में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र तक है। पश्चिमी योजना क्षेत्र में पंचायत समिति का कार्यालय, पीतल फेक्ट्री, गॉवाई पीचका, धर्मवीर मैदान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नम्बर 2, हनुमान मंदिर, आसावा पीचका, महादेव मंदिर, प्रसूती गृह आदि स्थित है। नये प्रस्तावो के अन्तर्गत इस क्षेत्र में उक्त योजना क्षेत्र मे बस स्टेण्ड, स्टेडियम, विद्यालय, अन्य सामुदायिक सुविधा, सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय, चिकित्सालय, महाविद्यालय एवं व्यवसायिक महाविद्यालय, यातायात नगर, औद्योगिक क्षेत्र आदि के लिए स्थल प्रस्तावित किए गए है, और विभिन्न मार्गाधिकार की सड़कें प्रस्तावित की गई है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1367 एकड (553.22 हे.) जिसमे लगभग 28000 हजार जनसंख्या निवास करेगी।

### 4.5 (स) परिधि नियन्त्रण पट्टी

उपरोक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त, जो क्षेत्र नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा के मध्य शेष रह जाता है, वह इस श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि में व सड़को के सहारे–सहारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। यह क्षेत्र प्रमुखतः ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, वन, बागवानी, उद्यान एवं इससे सम्बन्धित कार्यों के लिये ही किया जायेगा। इस योजना क्षेत्र में सेवा केन्द्र, ग्रामीण आबादी का विस्तार, गौशाला, दुग्ध शाला, मोटल, पेट्रोल पम्प, कुक्कुट शाला, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, ईंट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम स्वीकृति लेकर किये जा सकेंगे। नगर के बाहर संभावित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने में परिधि नियंत्रण पट्टी का विशेष महत्त्व रहेगा इसका क्षेत्रफल 17939 एकड़ (7259.91 हेक्टेयर) है।

# 5
# भू–उपयोग योजना

# 5.0 भू–उपयोग योजना

नियोजन की नीतियों एवं सिद्वान्तों के अनुसार शहर की भू–उपयोग योजना तैयार की गयी है। नगरीय भूमि एक महत्वपूर्ण सीमित संसाधन है । अतः भू–उपयोगों का निर्धारण करते समय नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आंकाक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ नगर के नियोजित, सन्तुलित एवं समन्वित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। नगर के भौतिक स्वरूप, जनसंख्या, नगरीय क्षेत्र, वर्तमान एवं सम्भावित मानवीय गतिविधियों, विकास की दिशाओं और विभिन्न सर्वेक्षण आंकडो के अध्ययन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर व नियोजन के मापदंडो को दृष्टिगत रखते हुए भिन्न–भिन्न प्रयोजनार्थ भू–उपयोग दर्शाये गये हैं। तालिका–13 सन् 2031 की आवश्यकताओं के लिए भू–उपयोग के वितरण को दर्शाती है।

**तालिका–13**

**प्रस्तावित भू–उपयोग, रानी खुर्द–2031**

| क्र.सं. | भू–उपयोग | क्षेत्र एकड़ में (हेक्टेयर में) | विकसित क्षेत्र का प्रतिशत | नगरीयकरण क्षेत्र का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवासीय | 1007 (407.53) | 49.90 | 46.21 |
| 2. | वाणिज्यिक | 78 (31.57) | 3.88 | 3.58 |
| 3. | औद्योगिक | 139 (56.25) | 6.90 | 6.38 |
| 4. | राजकीय | 23 (9.31) | 1.16 | 1.05 |
| 5. | सार्वजनिक एवम् अर्द्ध–सार्वजनिक | 149 (60.30) | 7.38 | 6.84 |
| 6. | आमोद–प्रमोद | 80 (32.38) | 3.97 | 3.67 |
| 7. | परिसंचरण | 541 (218.94) | 26.81 | 31.67 |
| | **कुल विकास योग्य क्षेत्र** | 2018 (816.68) | 100.00 | – |
| 8. | जलाशय, नदी एवं नाले | 13 (5.26) | – | 0.60 |
| | **कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र** | 2031 (821.95) | – | 100.00 |

स्त्रोत : सलाहकार के अनुमान एवं सर्वेक्षण।

## 5.1 आवासीय

भू–उपयोग योजना में आवासीय क्षेत्र के लिए तकनीकी प्रबन्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके परिणात्मक पहलू के साथ साथ गुणात्मक पहलू पर भी गम्भीर रूप से ध्यान दिया गया है ताकि नागरिकों को स्वस्थ आवासीय वातावरण, मिलने के साथ–साथ कार्य स्थलों, आमोद–प्रमोद व सार्वजनिक सुविधा स्थलों तक पहुँच कम समय में सरल एवं सुगम हो। योजना अनुसार लोगो को आवासीय बस्तियों के निकट ही प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। सन् 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या के आवास हेतु 1007 (407.53) एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र 49.90. प्रतिशत है।

नगर में प्रस्तावित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में विषमताओं में सन्तुलन बनाने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व को दो श्रेणियों में प्रस्तावित किया गया है यथा 50 व्यक्ति प्रति एकड़ तक, और 50 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़। भू–उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के पास कार्य केन्द्र व सुविधा स्थल प्रस्तावित है। पुराने शहर के भीतर की आबादी का उच्च घनत्व बना रहेगा। सामान्यतया नये आवासीय क्षेत्रों को लगभग 50 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के आधार पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। योजना काल वर्ष 2031 तक की जनसंख्या के लिए भू–उपयेाग योजना में 1007 (407.53) एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गयी है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि (Natural Growth) व आव्रजन (Migration) से नगर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिन्हे नियोजित क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

### 5.1 (1) आवासन

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें सबसे छोटी ईकाई को भारतीय परिवेश में मोहल्ला कहा जाता है। ऐसे मोहल्लों में सामान्यतः 50 से 100 परिवार निवास करते है। इन मोहल्ले में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। विभिन्न मौहल्लों के समूह को मिलाकार बनी बस्तियों को योजना ईकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000–2000 होती है। ऐसे योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में दुकाने, उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार की चार से पाँच योजना ईकाइयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेंटर,

सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जावेगा। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेंटर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएँ बनाकर किया जायेगा। यह प्रयास किया गया है कि विभिन्न कार्य स्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में ही आवासीय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2010 या समय समय पर जारी एवं प्रचलित नीतियों व नियमों के तहत आवासीय क्षेत्रों को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जा सकेगा।

### 5.1(2) नगरीय नवीनीकरण

नगर में अनियमित एवं अनियोतित ढंग से बसे हुए क्षेत्रों में रख–रखाव और नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी संरक्षण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। पुराने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जन घनत्व अत्यधिक है तथा पक्की सड़कें, सीवर लाईन, गन्दे पानी के निकास की नालियाँ, पेयजल वितरण व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, आदि का अभाव है या जीर्ण–शीर्ण अवस्था में या अस्त–व्यस्त है, वहाँ पर नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित है। पुनर्विकास कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहाँ आवश्यकता हैं। सड़क मार्गाधिकार क्षेत्र में से अतिक्रमणों को हटाया जाना, विद्यमान पार्क स्थलों को विकसित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है।

### 5.1(3) कच्ची बस्तियाँ/अनौपचारिक (इन्फॉर्मल) सेक्टर के लिए आवास

विकासशील नगरों में कच्ची बस्तियाँ प्रमुख समस्याओं में से एक हैं तथा इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके सुधार एवं पुनर्स्थापना से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं, जिससे एक वृहद् योजना को तैयार करते समय विस्थापन में कम से कम प्रभाव पड़े, ऐसा दृष्टिकोण ध्यान में रखना होगा। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कदम पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की ओर लिया जायेगा। इसमें जरूरी आवश्यक सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय, नालियाँ, पक्की सड़कें, गलियों में रोशनी, इत्यादि उपलब्ध कराना सम्मिलित है। राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत छोटे आवास का निमार्ण करवाया जावेगा।

## 5.2 वाणिज्यिक

रानी खुर्द, महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। रेल तथा सड़क यातायात से आस–पास के क्षेत्रों से भली–भांति जुड़ा होने के फलस्वरूप रानी खुर्द कस्बा भविष्य में भी वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु लगभग 78 एकड़ (31.57 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान किया गया है। इन गतिविधियों में कस्बे में विभिन्न भागों में तर्क संगत रूप से वितरित किये जाने और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिये मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र तक जाने से बचने के लिये एक पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या 14 में दर्शाया गया है:–

**तालिका –14**

**प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, रानी खुर्द–2031**

| क्र.सं. | वाणिज्यिक गतिविधियाँ | क्षेत्रफल एकड़ में (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1. | फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकाने | 25 (10.11) |
| 2. | वाणिज्यिक केन्द्र (CC) | 5 (02.02) |
| 3. | विशिष्टीकृत, थोक बाजार | 28 (11.33) |
| 4. | भण्ड़ारण एवं गोदाम | 20 (08.09) |
| | योग | **78.00 (31.57)** |

### 5.2 (1) खुदरा, फुटकर व्यापार एवं सुविधाजनक दुकाने

रानी खुर्द कस्बा पाली जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है। नगर की मुख्य गतिविधियां पुराने शहर में केन्द्रित है जो मुख्यतः मुख्य बाजार, प्रताप बाजार एवं मुख्य सड़कों के आस–पास संचालित है। वाणिज्यिक गतिविधियां अत्यधिक सघन क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र शहरी केन्द्र के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता रहेगा।

### 5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र

शहर के विस्तार के साथ साथ वाणिज्यिक गतिविधियों, और रानी खुर्द पर पृष्ठ क्षेत्र के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नगर के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। जोधपुर सड़क पर 2.4 एकड़ (0.97 हेक्टयर) एवं प्रस्तावित फल सब्जी मण्डी के पास में 2.6 एकड़ (1.05 हेक्टयर) भूमि वाणिज्यिक केन्द्र के लिए प्रस्तावित की

गयी है। इसी प्रकार पूर्वी एवं पश्चिमी योजना क्षेत्रों में तर्क संगत रूप से वाणिज्यिक स्थल प्रस्तावित किये गये है। वाणिज्यिक केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस केन्द्र, बैंक, आदि स्थापित किये जाने के प्रावधान है। आवासीय क्षेत्र में योजना बनाते समय उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय वाणिज्यिक स्थल उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

### 5.2 (3) विशिष्टीकृत एवं थोक बाजार

कृषि उत्पादों के थोक व्यापार के लिए रेलवे लाइन के पूर्व दिशा में कृषि उपज मंडी समिति विद्यमान है, जहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि उत्पादों का कारोबार संचालित होता है। रानी खुर्द के पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पास में ऑटो मोबाइल मार्केट के लिये 4.33 (1.75 हेक्टयर) एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। थोक व्यापार की स्थापना हेतु पूर्वी योजना क्षेत्र में 2.43 (0.98 हेक्टयर) एकड़ भूमि फल एवं सब्जी मण्ड़ी के लिए भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह स्थल युक्तिसंगत रूप से पर्याप्त आकार में एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है कि वहाँ वस्तुओं का लदान बड़े पैमाने पर होगा तथा उसकी वजह से भारी यातायात दबाव की सम्भावनाएँ प्रबल होगी और वहाँ भारी भीड़ रहेगी।

### 5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम

शहर के वर्तमान व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औधोगिक गतिविधियों और इनमें वृद्वि की भावी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुओं के रखरखाव एवं भण्डारण हेतु कृषि मण्डी रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में कृषि उपज मण्ड़ी सड़क पर 14.7 (05.95 हेक्टयर) एकड़ भूमि और पश्चिमी योजना क्षेत्र में जोधपुर सड़क पर 4.4 एकड़ (1.78 हेक्टयर) भूमि भण्ड़ारण एवं गोदाम के लिए प्रस्तावित की गयी है। उक्त स्थल को भू–उपयोग मानचित्र में अंकित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि उत्पादन के भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज आदि) अनुज्ञेय होंगे जिसका निर्धारण आवश्यकतानुसार माँगपत्र के सन्दर्भ में नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

### 5.3 औद्योगिक

उद्योगों का आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। रानी खुर्द नगर को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की आवष्यकता है। यह नगर दिल्ली – मुम्बई के मध्य विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कोरिडोर में स्थित होने से एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहनवर्धक औद्योगिक नीति आदि कारणों से यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की प्रबल सम्भावनाएँ है। रानी खुर्द में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु

जोधपुर व दूदवर सड़क पर 109 (44.11 हेक्टयर) एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार योजना अवधि में कुल 139 एकड़ (55.25 हेक्टयर) भूमि का प्रावधान है। योजना अवधि तक औद्योगिक गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या लगभग 4832 हो जायेगी जो कुल कार्यरत व्यक्तियों का 28 प्रतिशत है।

### 5.4 राजकीय

### 5.4 (1) सरकारी एवम् अर्द्व–सरकारी कार्यालय

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 11 एकड़ (4.65 हेक्टर) भूमि है जो नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 1.96 प्रतिशत है। कस्बे में सरकारी एवं अर्द्व–सरकारी कार्यालयों के लिए पश्चिमी योजना क्षेत्र में जोधपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर 11.50 एकड़ (4.65 हेक्टयर) तथा विभिन्न स्थानों पर सरकारी एवं अर्द्व–सरकारी कार्यालयों हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार मास्टर प्लान में योजना अवधि 2031 तक इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 23 एकड़ (9.31 हेक्टयर) भूमि का प्रावधान किया गया है।

### 5.5 आमोद–प्रमोद

सार्वजनिक उद्यान, क्रीड़ा स्थल, एवं खुली जगह नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ऐसे स्थल कस्बे में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण, पर्यावरण संरक्षण व मनोरंजन के लिए महत्त्वपूर्ण होते है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में इन स्थलों का युक्ति संगत रूप से वितरण किया गया है। मास्टर प्लान की योजना अवधि 2031 तक इस भू–उपयोग के अन्तर्गत कुल 80 एकड़ (32.38 हेक्टयर) भूमि का प्रावधान है। विभिन्न आवासीय योजनांए तैयार/अनुमोदित करते समय उनमें स्थानीय स्तर के उद्यान का प्रावधान रखा जायेगा।

### 5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये किसी सीमा तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन करते है। नगर में उद्यानों का अभाव है। इस कमी की पूर्ति करने हेतु पार्क एवं खुली जगहों के लिए उपयुक्त स्थल भू–उपयोग योजना 2031 में दर्शाये गये हैं।

### 5.5 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

विभिन्न खेलों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यहां नगरीय स्तर के स्टेडियम का अभाव है। इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए दूदवर सड़क व प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर 15.40 एकड़ (06.23 हेक्टयर) भूमि स्टेडियम के लिए प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न भागों में खेल मैदान एवं खुले स्थल आरक्षित किये गये है।

### 5.5 (3) अर्द्व–सार्वजनिक मनोरंजन

स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है। नगर वासियों को स्वच्छ मनोरंजन उपलब्ध हो, इसके लिए अर्द्व सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से योजना क्षेत्रों में क्लब, उद्यान आदि के लिए पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। रानी खुर्द कस्बे में स्थित तालाब के आस–पास लैण्ड स्केपिंग किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.5 (4) मेला स्थल एवं पर्यटन सुविधाएँ

रानी खुर्द में स्थित महागौरी शंकर मंदिर, धर्मवीर मैदान में मेला लगता है। इन स्थलों का विकास व सौन्दर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन स्थलों के आस–पास वृक्षारोपण किया जाना अपेक्षित है। पश्चिमी योजना क्षेत्र में रानी कला की पहाड़ी पर स्थित माता जी के मन्दिर के आस–पास 22 (8.90 हेक्टयर) एकड़ रिक्त भूमि पर्यटन सुविधा के लिये तथा पूर्वी योजना क्षेत्र में मोखमपुरा नाड़ी के पास 17 एकड़ (6.88 हेक्टयर) भूमि मेला एवं पर्यटन सुविधा के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसका सौन्दर्यकरण एवं विकास किया जाना अपेक्षित है।

### 5.6 सार्वजनिक एवम् अर्द्व–सार्वजनिक

योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अर्द्व सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाएँ आदि को विभिन्न स्तरों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। आवासीय घनत्व क्षेत्र विशेष की प्रकृति, भविष्य में विस्तार की सम्भावना और भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए योजना में इन सुविधाओं का युक्तिसंगत वितरण किया गया है।

वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत 35 (14.16 हेक्टयर) एकड़ भूमि है, जो नगर के विद्यमान कुल विकसित क्षेत्रफल का 6.31 प्रतिशत है। योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत 149 एकड़ (60.30 हेक्टयर) भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 7.39 प्रतिशत है।

### 5.6 (1) शैक्षणिक

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हैं। अतः नगर की भावी शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं हेतु नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई। जोधपुर सड़क पर महाविद्यालय के लिए 16.4 एकड (6.64 हेक्टयर) व व्यावसायिक महाविद्यालय के लिए ढाणी जाने वाली सड़क व प्रस्तावित बाह्ह मार्ग पर प्रस्तावित बाह्यय मार्ग पर 9.6 एकड़ (3.89 हेक्टयर) भूमि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में युक्तिसंगत रूप से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि प्रस्तावित की गई। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थलों का चयन आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनाएँ बनाते समय आश्यकतानुसार किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागृति से विद्यार्थियों की संख्या बढेगी।

### 5.6 (2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

रानी खुर्द में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा हेतु राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनाना चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालय संचालित हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पास मोखमपुरा के तरफ पूर्वी योजना क्षेत्र में बिजोवा जाने वाली सड़क पर एवं रानी कलां नाडी के समीप आदि स्थानों पर चिकित्सालय भूमि प्रस्तावित की गई है।

### 5.6 (3) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक /ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

रानी खुर्द में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु सामुदायिक भवन, ऑडिटोरियम बनाये जाना का मास्टर प्लान में प्रावधान है। रानी खुर्द में विद्यमान धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों के रख रखाव एवं संरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

### 5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाएँ जैसे डाक एवं तारघर, दूर संचार केन्द्र, अग्निशमन सेवा केन्द्र, वाचनालय एवं पुस्तकालय, क्लब, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक भवन तथा युवा केन्द्र आदि के लिए योजना क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों का प्रावधान किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार इन स्थलों को विकसित किया जा सके।

## 5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ

पेयजल, मल– जल निकास, नालियों की व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण स्थानीय सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। एक नगर के समुचित विकास के लिए समुचित जलापूर्ति का होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्वच्छ वातावरण हेतु जल की निकासी का उचित प्रबन्ध होना आवश्यक है। अतः इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जावे।

## 5.6 (5) (अ) जलापूर्ति

वर्ष 2031 में रानी खुर्द की जनसंख्या लगभग 42,000 हो जायेगी, जिससे पानी की आपूर्ति की मांग में वृद्वि भी होगी। पानी के नये कनेक्शन हेतु नये स्त्रोतों को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। रानी खुर्द में जवाई बांध से जलापूर्ति की जाती है। जवाई–पाली पाइप लाइन से सिन्धरू गांव में टेपिंग की हुई है। इसके स्थान पर केनपुरा गांव में स्थित पाइप लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि सिन्धरू से वाया फालना करीब 30 किलोमीटर दूरी के स्थान पर केनपुरा से इस टाउन को जोड़े जाने पर मुख्य पाइप लाइन से दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। इससे पानी उचित मात्रा में व कम समय में दूरी तय कर उपलब्ध हो सकेगा। नगर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100–135 लीटर पानी 24 घण्टे के अंतराल पर आपूर्ति की जाना प्रस्तावित है।

## 5.6.5 (ब) मल–जल निस्तारण प्रबन्धन

शहर में मल–जल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मल–जल का निस्तारण नालियों में ही किया जाता है। नगर पालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण टुकड़ों में करवाया जाता है जिससे कई बार उचित लेवल का निर्धारण नहीं हो पाता है। शहर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना नहीं बनी हुई है। शहर में खुली नालियां होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः योजना में यह सुझाव दिया जाता है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण रानी खुर्द नगरीय क्षेत्र के लिये एक एकीकृत मल–जल निकास योजना तैयार करनी चाहिये। ऐसी योजना शहर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास को ध्यान में रखकर किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.6.5 (स) ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ–साथ अच्छे वातावरण और रहने की जगह को स्वच्छ रखने हेतु विशेष कदम आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण की जगह शहर से दूर होनी चाहिये। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण के लिए रानी कलां के समीप 1.46 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर आवंटित की गई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर से गन्दगी के ढेरों को साफ करने की आवश्यक तकनीक व यंत्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.6.5 (द) विद्युत आपूर्ति

नगर की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ–साथ विभिन्न योजना क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। रानी खुर्द में मुख्य रूप से कृषि एवं औद्योगिक विस्तार की प्रबल सम्भावना के कारण विद्युत की खपत अधिक होगी। वर्तमान में नगर में की जा रही विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। भविष्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रयासरत है, जिससे मांग व पूर्ति में अन्तर समाप्त हो सकेगा।

### 5.6.6 श्मशान एवं कब्रिस्तान

नगर में विद्यमान श्मशान और कब्रिस्तान स्थल शहर के विकसित भागों में स्थित है, उनमें चारों ओर वृक्षारोपण कर चार दिवारी बनाया जाना प्रस्तावित है। नये श्मशान घाट और कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

## 5.7 परिसंचरण

एक सुदृढ़ परिसंचरण प्रणाली शहर की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की प्रतीक होती है। रानी खुर्द अपने पृष्ठ क्षेत्र में प्रमुख सेवा केन्द्र की भूमिका निभाता रहेगा और यहां पर उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में तीव्र विकास होगा। अतः नगर में वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था होनी चाहिए।

सड़क, परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। रानी खुर्द कस्बे में यातायात योजना को भू–उपयोग प्लान के तहत सम्पर्क भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। जिससे लोगों को सामान एवं सेवाओं के लिए आवागमन की अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जा सके। एक

श्रृंखलाबद्ध सड़कों का पदानुक्रम में प्रावधान किया गया है। परिसंचलन प्रयोजनार्थ प्रारूप मास्टर प्लान में 541 एकड़ (218.94 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान रखा गया है।

### 5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

भू–उपयोग योजना में सड़क, परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रानी खुर्द मास्टर प्लान में यातायात योजना को भू–उपयोग योजना में सम्पर्क भाग के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत लगभग 155 एकड़ (62.73 हैक्टेयर) क्षेत्र आता है जो कस्बे के विकसित क्षेत्रफल का 27.93 प्रतिशत है। योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत लगभग 541 एकड़ (218.94 हैक्टेयर) क्षेत्र आएगा जो प्रस्तावित कुल विकसित क्षेत्र का 26.81 प्रतिशत है।

नगर के नगरीयकरण क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने, सुगम आवागमन हेतु योजना में श्रृंखलाबद्ध सड़कें प्रस्तावित की गयी है, जो जनसाधारण के लिए सुविधाजनक होगी। इससे रानी खुर्द में यातायात सुरक्षित, सुगम, समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा। रानी खुर्द में प्रस्तावित बाह्य मार्ग मोखमपुरा आबादी के पास सादड़ी सड़क से व रेलवे लाईन, फालना व खिमेल सड़को को क्रॉस करते हुए दुदवर सड़क पर नाडी के पास से होते हुए जोधपुर सड़क का मिलान किया गया है। जिसका मार्गाधिकार 120 फीट (36 मीटर) रखा गया है तथा एक प्रमुख मार्ग जोधपुर सड़क से रानी कलां नाडी के पास से होते हुए भगवानपुरा सड़क को क्रोस करते हुए रेलवे लाईन के नीचे सूकडी़ नदी के सहारे प्रस्तावित वृक्षारोपण पट्टी को छोड़ते हुए सादड़ी सड़क पर मिलान किया गया है, जिसका मार्गाधिकार 100 फीट (30 मीटर) रखा गया है। जिससे शहर से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर यातायात दबाव कम हो जायेगा। बाह्य मार्ग विभिन्न गाँवों के बाई–पास के रूप में भी उपयोगी होने के साथ–साथ सम्पूर्ण नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के विभिन्न भागों को एक–दूसरे से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में भिन्न–भिन्न मार्गाधिकार की सड़कें यथा स्थान पर प्रस्तावित की गई। यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बाह्य मार्ग पर यातायात सुरक्षित एवं समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सके। प्रमुख एवं उप–प्रमुख मार्ग विभिन्न क्षेत्रों यथा आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यक्षेत्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करवायेंगे। जोधपुर से सादड़ी जाने वाली मुख्य जिला सड़क संख्या 105, रानी खुर्द व मोखमपुरा होते हुए सादड़ी को जाती है जिसका मार्गाधिकार 100' रखा गया है एवं यह बाह्य क्षेत्रों में अधिक हो सकता है तथा विकसित क्षेत्र में

मार्गाधिकार को प्राप्त करने के लिए अतिक्रमण को हटाना व वांछित भूमि नवीन स्वीकृति देते समय यथा सम्भव छोड़ी जावे व उचित निर्णय लेकर सुविधा अनुसार न्यून स्तर के मापदण्ड़ अपनाये जा सकते है। जिन सड़को की चौड़ाई मौके पर निर्धारित मार्गाधिकार से अधिक होने पर अधिक रखा जाना प्रस्तावित है, ताकि उचित स्थानों पर सर्वेक्षण कर पार्किंग, टेक्सी स्टेण्ड़ आदि उपलब्ध हो सके। रानी खुर्द में रेलवे लाईन के पूर्वी व पश्चिमी भागों के मध्य सुगम आवागमन हेतु उचित स्थलों पर रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अण्ड़र ब्रिज व पेडियस्ट्रियल ब्रिज सम्बन्धि विभाग द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में विभिन्न सड़कों को एवं उनके प्रस्तावित मार्गाधिकार को दर्शाया गया है।

### 5.7 (1) (अ) सड़कों का मार्गाधिकार

अन्तर शहरीय यातायात के लिए बाई पास मार्गों का अलग से प्रावधान किया गया है। एक श्रृंखलाबद्ध सड़क पद्धति का प्रावधान शहर में व्यवस्थित आवागमन हेतु किया गया है। विभिन्न सड़कों के निर्धारित मार्गाधिकार को निम्न तालिका संख्या–15 में दर्शाया गया है।

**तालिका– 15**

**विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, – रानी खुर्द – 2031**

| क्र.सं. | सड़कों का प्रकार | मार्गाधिकार मीटर (फीट) में न्यूनतम |
|---|---|---|
| 1. | बाह्य मार्ग | 36 ( 120′) |
| 2. | प्रमुख मार्ग | 30 ( 100′) |
| 3. | उप प्रमुख मार्ग | 24 ( 80′) |
| 4. | मुख्य मार्ग | 18 (60′) |

पंचायत समिति कार्यालय से दक्षिण–पश्चिम की ओर प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक के 80 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गयी है। इसी तरह जोधपुर सड़क से उत्तर–पूर्व की ओर सूकड़ी नदी तक 80′ चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गयी है। इसी तरह नदी के सहारे–सहारे वृक्षारोपण पट्टी को छोड़ते हुए 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। सड़कों के प्रस्तावित मार्गाधिकार को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–16

## सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार –रानी खुर्द–2031

| क्र.सं. | सड़कों की श्रेणी | प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार मीटर (फीट) में |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावित बाह्य मार्ग | 36 ( 120′) |
| 2. | प्रमुख मार्ग<br>जोधपुर सड़क<br>भगवानपुरा सड़क एवं फालना सड़क | <br>30 (100′)<br>30 (100′) |
| 3. | उप प्रमुख मार्ग<br>सादड़ी सड़क<br>खिमेल वाया रानी कलां सड़क<br>दूदवर सड़क एवं ढोला का गांव सड़क | <br>24 (80′)<br>24 (80′)<br>24 (80′) |
| 4. | मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग | 18 (60′) एवं कम |

### 5.7 (1) (ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें, जिन्हें भू–उपयोग योजना में प्रमुख तथा मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहां तक सम्भव हो मापदण्डों के अनुसार ही होगा। उन स्थानों पर जहां सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो अथवा जहां अत्यधिक संख्या में पक्के भवनों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहां उचित निर्णय लेकर सुविधानुसार न्यून स्तर के मापदण्ड अपनाये जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

### 5.7 (1) (स) चौराहों/जंक्शनों का विकास

नगर में यातायात के सुरक्षात्मक एवं निर्बाध रूप से संचालन में जो बाधाएँ आती है उनमें चौराहों के अनुचित आकार/डिजाइन प्रमुख है। अतः विद्यमान/प्रस्तावित चौराहों/जंक्शनों का विकास एवं निर्माण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। यातायात अध्ययनों/नियमों के तहत सुदृढ़ यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उचित डिजाइन/आकार में चौराहों का निर्माण, विकास एवं सौन्दर्यकरण किया जाना अपेक्षित है।

### 5.7 (1) (द) पार्किंग स्थलों का विकास

रानी खुर्द में पार्किंग स्थलों का अभाव होने कारण वाहनों की पार्किंग में काफी परेशानी होती है। अतः नगरपालिका द्वारा पार्किंग स्थलों का चयन कर पार्किंग की व्यवस्था की जावें।

### 5.7.2 बस अड्डा

रानी खुर्द मे नियमित एवं नियोजित बस स्टेण्ड विद्यमान नहीं है। जहां से बसें संचालित की जाती है, वह स्थान अत्यन्त भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। भारी यातायात दबाव के कारण यहां बसों के सुचारू रूप से संचालन में बाधा आती है। यातायात अवरूद्ध हो जाता है। अतः यात्रियों को बसों के सुचारू रूप से संचालन एवं यात्रियों को उचित सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए सादड़ी सड़क पर 3.18 एकड़ (1.29 हेक्टेयर) व जोधपुर सड़क पर 2.5 एकड़ (1.01 हेक्टेयर) भूमि बस स्टेण्ड के लिए प्रस्तावित की गई है।

### 5.7.3 ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में यहाँ पर कोई ट्रक टर्मिनल नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक पश्चिमी योजना क्षेत्र में फालना सड़क पर 6.83 (2.76 हेक्टेयर) एकड़ यातायात नगर के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। जहाँ से ट्रक टर्मिनस से भारी सामानों का लदान/उतारना आसानी से हो सके।

### 5.7.4 रेल मार्ग एवं हवाई सेवा

वर्तमान में रानी खुर्द रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है तथा सम्भागीय मुख्यालय जोधपुर में नियमित हवाई सेवाएँ उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाना प्रस्तावित है।

## 5.8 पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संवर्धन/संग्रहण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील विषय है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू–जल दोहन, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि से कृषि जोत में कमी आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन एवं छाया की दृष्टि से रानी खुर्द प्रस्तावित बाह्य मार्ग एवं कस्बे की मुख्य सड़कों के सहारे–सहारे सघन वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित बाह्य मार्ग प्रस्तावित प्रमुख मार्ग के सहारे सहारे वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है।

इसके अलावा सभी 300 वर्ग मीटर से बड़े परिसरों व आवासों, कार्यालयों में वर्षा–जल के संग्रहण व संर्वधन की संरचना बनाना राज्य सरकार की घोषित नीति के तहत आवश्यक हैं। जिससे वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर बढाया जा सके व संग्रहित पानी भी काम में लिया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित विभागों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह–भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

## 5.9 आपदा प्रबन्धन

आपदा दो तरह की हो सकती है। एक प्राकृतिक व दूसरा मानव जनित है। अकाल, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकम्प, महामारी, अग्निकांड, गैस रिसाव, भवन का ढहना, भगदड़ मचना आदि की स्थिति में घोर संकट के समय बचाव एवं तत्काल राहत की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में संकट को कम करते हुए बचाव व राहत के सभी तरह के आवश्यक कदम उठाने होते है और विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता रहती हैं। जानमाल रक्षा व सुरक्षा के प्रति सजग, संवेदनशील रहते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी होती है। जिला प्रशासन को सम्भावित आपदा से बचाव के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारी एवं आपदा पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा बलों, नागरिक संगठनों का सहयोग, आवश्यक मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जानी होती है। यह नगर सूकड़ी नदी के किनारे स्थित होने से बाढ़ से बचाव के लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए नाव, तैराक, लाईफ जैकेट, टॉर्च, रस्से व हेलिकॉप्टर आदि की और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टे, पानी को डाइवर्ट करने या सुरंग बनाने के लिए जे.सी.बी. व अन्य मशीनों की आवश्यकता रहती है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन मय प्रशिक्षित दल आदि आवश्यक है। इसी तरह अन्य आपदाओं से बचाव व राहत के लिए सभी तरह के उपाय यथा पेरामेडिकल स्टाफ, दवाईयां, एम्बुलेन्स, मास्क, सुरक्षा बलों की तैनातगी आदि उपाय किये जाने होते है ताकि जान–माल की रक्षा हो सकें। आपातकाल में नागरिक सुरक्षा व राहत के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, आवश्यक संसाधन, कार्मिक, विशेषज्ञ, सम्बन्धित विभागों के दूरभाष नंबर, मोबाईल नंबर आदि की सुनिश्चितता आवश्यक है ताकि भावी आपदा से यथासंभव बचाव

किये जा सकें। इसके लिए सभी विभागों में आपसी तालमेल हो। जिला प्रशासन द्वारा भी आपदाओं से बचने के लिए आम जनता के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ द्वारा नवीनतम जानकारियां जिला प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए।

## 5.10 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को रोकने के लिए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र की भूमि का उपयोग प्रमुख रूप से कृषि, वृक्षारोपण एवं इससे सम्बन्धित उपयोग के लिये ही किया जायेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण बस्तियों का भी विकास सक्षम स्तर से पूर्व स्वीकृति ली जाकर निर्धारित मानदण्ड़ों के अर्न्तगत की जा सकेगी।

बाह्य मार्ग के साथ–साथ वे समस्त भू–उपयोग नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति लेकर मानदण्ड़ व शर्तो के साथ आ सकेंगे जो हरित पट्टी क्षेत्र में अनुज्ञेय हैं तथा अन्य भू–उपयोग, जैसे– सेवा केन्द्र, पैट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी का विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाएँ एवं रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, कोल्ड स्टोरेज तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी आ सकेंगे।

बाह्य मार्ग के सहारे अनुज्ञेय विकास करते समय इन मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य आ सकेंगे।

सड़कों को भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप विकसित किया जायेगा एवं इसके आगे परिधि नियन्त्रण पट्टी की ओर आने वाली गतिविधियों के लिए सड़के नियमानुसार विकसित की जावेगी एवं मुख्य मार्गो पर कम से कम एक किलोमीटर के अन्तराल पर प्रदान की जायेगी। परिधि नियन्त्रण पट्टी में सम्बन्धित सामान्य गतिविधियॉ नियमों के प्रावधान अनुसार स्थापित की जा सकेगी।

### 5.10 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण सीमा क्षेत्र में आने वाले अधिसूचित गाँव, जो कि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु विकसित करना होगा। इससे इन

ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न भू–उपयोगों को नियंत्रित करने में बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का उनकी न्यूनतम विस्तार आवश्यकताओं एवं ग्राम पंचायत के प्रस्तावों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय ग्राम के रूप में विस्तार एवं विकास सुनिश्चित किया जायेगा ताकि ग्रामीण आबादी सम्बन्धित समस्याओं का समाधान हो सके। परिधि नियंत्रण सीमा क्षेत्र में वन, कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी, पोल्ट्री, फार्म हाउस, इत्यादि उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीणों का शहरों की ओर होने वाले पलायन को नियंत्रित किया जा सकेगा।

# 6
# योजना का कार्यान्वयन

# 6.0 योजना का कार्यान्वयन

रानी खुर्द की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती हैं। वास्तव में यह तो एक सतत् प्रक्रिया हैं तथा नगर के सुनियोजित विकास के प्रयास का प्रथम चरण मात्र हैं। योजना को मूर्तरूप देने का सबसे सही उपाय यह हैं कि इसे पूर्ण दृढ़ता एवं क्षमता के साथ कार्य रूप में परिणित किया जाये।

अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं रहा हैं कि वे अव्यावहारिक थी, अपितु एक प्रमुख कारण यह रहा कि, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने से पूर्व इसे दृढ इच्छाशक्ति से लागू करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया होगा। सही रूप से तैयार की गयी योजना का कार्यान्वयन  योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है।

इस दृष्टि से निर्णायक और विकास दोनो ही प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती हैं। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग पर ही योजना की सफलता निर्भर करती हैं। अतः हम सभी का यह परम दायित्व हैं कि रानी खुर्द नगर को अधिक आर्कषक एवं स्वावलम्बी/आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग एवं लगन की भावना के साथ कार्य करें।

## 6.1 वर्तमान आधार

रानी खुर्द नगरपालिका का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया हैं। इस अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों द्वारा नगर पालिका सीमा में विकास कार्य कराये जाने के प्रावधान है।

## 6.2 प्रस्तावित आधार

रानी खुर्द नगर की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन का दायित्व नगरपालिका, रानी खुर्द का रहेगा। योजना लागू होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाषित करेंगे कि रानी खुर्द के नगरीय क्षैत्र में विकास कार्य उक्त अनुमोदित योजना के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपी संबंधित निकाय द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित योजना (मास्टर प्लान) की प्रतियाँ नगर पालिका बोर्ड में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।

आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मानचित्रों सहित कार्यालय नगरपालिका, रानी खुर्द से निर्धारित शुल्क पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका, रानी खुर्द मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप इसके सफल कार्यान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति एवं मल–जल निकास की योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या नगर पालिका द्वारा तैयार की जायेगी तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी। नगर पालिका, रानी खुर्द मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग से परामर्श कर परियोजनाऐं तैयार कर उनकी कार्यान्वयन की कार्यवाही करेंगी। नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व नगर पालिका का है।

### 6.3 जन सहभागिता एवं जनसहयोग –

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता हैं। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। नगर की जनता मास्टर प्लान प्रस्तावों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। नगर की आधारभूत परियोजनाएं पब्लिक पार्टिशिपेशन प्रोजेक्ट (पी. पी. पी.) अथवा बिल्ट ऑपरेट एण्ड़ ट्रांसफर (बी. ओ. टी.) बेसिस पर अथवा विभिन्न जनसहभागिता के तहत कियान्वित की जा सकेगी।

### 6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति –

रानी खुर्द के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया हैं। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृत यथा 90–बी के आदेश, आवंटन भूमि रूपांतरण व नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजित नही हो पाया हो तो उन्हे समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी नाले जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण /नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो । कियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा–शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत् भूमि आंवटन किया जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें।

## 6.5 उपसंहार –

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही हैं, जिसकी सफलता तभी सम्भव हो सकती हैं, जबकि इसमें किये गये प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षो की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। रानी खुर्द का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, यथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाऐं उपलब्ध कराने तथा, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और रानी खुर्द को आवास एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया हैं।

# परिशिष्ट

## राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय–2

### मास्टर प्लान

**3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति–**

(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

**4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु–**

(क) मास्टर प्लान में, वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाए, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

**5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया–**

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व, मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति, निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सन्दर्भ में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

**6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना–**

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

**7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन का दिनांक –**

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति या कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जावेगा।

# राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

[Notification No.F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part-IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 Page 118].

In execrcise o of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely: -

**RULES**

**1. Short title and commencement-**

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

**2. Definitions**-In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

(1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No.35 of 1959).

(2) "Trust" means a Trust as consituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

**3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents there of under section 5 (1) : -**

[1]["(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act,'1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast

two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan][2]

1. Substituted by clause 2 of the Notification No.F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. in Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No.F.7 (19) TP/11/76 date 21.09.1979 R.G. Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 page 339.

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely: -

(a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

(b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses, etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 : -

(1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council of Constituted under Section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same [2][if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall published in the Official Gazette, a Notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.

1. Substituted by clause 2 of the Notification No.F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. In Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at Page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No. F.7(19)TP/11/76 date 21.09.1979 R.G.Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 Page 339.

**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग,**

क्रमांक–प.10(104)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांकः 16 जुलाई 2010

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को रानी खुर्द (जिला पाली ) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किए जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए बनाने हेतु नियुक्त करती हैः–

| क्रम संख्या | ग्राम का नाम | NAME OF VILLAGE | तहसील का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | रानी कलां | RANI KALLAN | देसूरी |
| 2 | रानी खुर्द | RANI KHURD | देसूरी |
| 3 | इटडरा चारणान | ITDARA CHARANAN | देसूरी |
| 4 | बिजोवा | BIJOVA | देसूरी |
| 5 | पादरली सिधलान | PADRLI SIDHLAN | देसूरी |
| 6 | सरखेजड़ा | SARKHEJRA | बाली |
| 7 | खिमेल | KHIMEL | बाली |
| 8 | मोखमपुरा | MOKHAMPURA | बाली |
| 9 | फतापुरा | PHATAPURA | बाली |

राज्यपाल के आदेश से

ह.
( पुरूषोत्तम बियाणी )
शासन उप सचिव

**परिशिष्ट–4**

**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग,**

क्रमांक–प.10(104)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांकः 14.2.2011

## संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 16.7.2010 में संशोधन करते हुए रानी खुर्द के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए राजस्व ग्रमों की सूची में से निम्नलिखित राजस्व ग्राम को विलोपित किया जाता है :–

| **क्रम संख्या** | **ग्राम का नाम** | NAME OF VILLAGE | **तहसील का नाम** |
|---|---|---|---|
| 1 | खिमेल | KHIMEL | बाली |

ह.
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेज कर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, पाली
6 वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रानी खुर्द।
8. रक्षित पत्रावली।

ह.
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

**राजस्थान सरकार** **परिशिष्ट–5**
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक :– प. 10 (104)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक : 19.09.2011

:– संशोधित अधिसूचना :–

राजस्थान नगर सुधान अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.07.2010 के संशोधन करते हुये रानीखुर्द के नगरीय क्षेत्र में सम्मलित किये गये राजस्व ग्रमों की सूची में सहवन से दूदवड़ के स्थान पर फतापुरा अंकित हो गया है। अतः रानीखुर्द के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रमों की सूची में से निम्नलिखित राजस्व ग्रम का नाम निम्नानुसार पढ़ा जावें। :–

| क्रं.सं. | पूर्व में प्रकाशित ग्रम का नाम | शुद्व ग्राम का नाम | तहसील का नाम |
|---|---|---|---|
| 9 | फतापुरा | दूदवड़ | देसूरी |

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.
(पुरूषोतम बियाण)
शासन उप सचिव– प्रथम

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधरण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग,राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान,जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान,जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक,जोधपुर जोन,जोधपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका,रानीखुर्द।
8. रक्षित पत्रावली।

ह.
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

**परिशिष्ट–6**

**राजस्थान सरकार**
**कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर।**

क्रमांकः– जेडीजेड/1120/एम.पी./रानीखुर्द दिनांक 27.04.2011

:– अधिसूचना :–

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत रानी खुर्द (जिला पाली) नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान 2010–2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्रम सम्मिलित है :–

| क्र.सं. | ग्रम का नाम | Name OF VILLAGE | तहसील का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | रानी कलां | RANI KALLAN | देसूरी |
| 2 | रानी खुर्द | RANI KHURD | देसूरी |
| 3 | इटडरा चारणान | ITDARA CHARANAN | देसूरी |
| 4 | बिजोवा | BIJOVA | देसूरी |
| 5 | पादरली सिधलान | PADRLI SIDHLAN | देसूरी |
| 6 | सरखेजडा | SARKHEJRA | बाली |
| 7 | मोखमपुरा | MOKHAMPURA | बाली |
| 8 | फतापुरा | PHATAPURA | बाली |

रानी खुर्द नगर का मास्टर प्लान (प्रारूप) के सम्बन्ध में राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। आपत्ति एवं सझाव नगर पालिका, रानी खुर्द में प्रस्तुत किये जा सकते है। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि दिनांक 27.04.2011 से 26.05.2011 तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नगर पालिका परिसर, रानी खुर्द में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय, नगर पालिका, रानी खुर्द से क्रय किये जा सकते है।

(**चन्द्र शेखर पारासर**)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर जोन,जोधपुर।

**श्राजस्थान सरकार** **परिशिष्ट–7**
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक :– प. 10 (104)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक : 27.02.2012

:– अधिसूचना :–

राजस्थान नगर सुधान अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.07.2010, संशोधित अधिसूचना दिनांक 14.02.2011 एवं 19.09.2011 द्वारा यथा अधिसूचित ''रानीखुर्द (जिला–पाली) के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, रानीखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव– प्रथम

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्दीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधरण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग,राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान,जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चि) राजस्थान,जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक,जोधपुर जोन,जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, पाली।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका,रानीखुर्द, जिला पाली। ।
8. रक्षित पत्रावली।

ह.
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक